635वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 अप्रैल 2023

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त परियोजनाओ के तकनीकी परीक्षण हेतु राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की 635वीं बैठक दिनांक 08/04/2023 को डॉ. पी.सी. दुबे की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें समिति के निम्नलिखित सदस्य स्वयं/वीडियों कॉफ्रेसिंग के माध्यम से उपस्थित रहें :–

1. श्री राघवेन्द्र श्रीवास्तव, सदस्य ।
2. प्रो. (डॉ.) रूबीना चौधरी, सदस्य ।
3. डॉ. ए.के. शर्मा, सदस्य ।
4. डॉ. जय प्रकाश शुक्ला, सदस्य ।
5. डॉ. रवि बिहारी श्रीवास्तव, सदस्य ।
6. श्री चन्द्र मोहन ठाकुर, सदस्य सचिव ।

सभी सदस्यों द्वारा अक्ष्यक्ष महोदय के स्वागत के साथ बैठक प्रारंभ करते हुए बैठक के निर्धारित एजेण्डा अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्राप्त प्रोजेक्ट्सों का तकनीकी परीक्षण निम्नानुसार किया गया :–

1. प्रकरण कमांक 9038/2022 – मेसर्स केपीटल मिनरल्स एवं माईनिंग, पार्टनर श्री अनिरूद्ध विश्नोई, निवास 36 नयागॉव सोसायटी, रामपुर जिला जबलपुर (म.प्र.) आयरन ओर माईन, खसरा नं. 1547, रकबा 04.50 हेक्टेयर, उत्पादन क्षमता–32,040 (आयरन ओर– 7058 टन/वर्ष एवं लेटराईट – 24982) टीपीए ग्राम गांधीग्राम तहसील सिहोर, जिला जबलपुर (म.प्र) के पर्यावरणीय स्वीकृति बावत् ।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा आललाईन प्राप्त यह प्रकरण आयरन ओर उत्खनन् का है और प्रस्तावित स्थल खसरा नं. 1547, रकबा 4.50 हेक्टेयर, ग्राम गांधीग्राम तहसील सिहोर, जिला जबलपुर (म.प्र.) पर स्थित है।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 556वीं दिनांक 02/03/2022 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

आज दिनांक 08/04/22 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री संजय तिवारी और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इन्वायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान 2009 से स्वीकृत है जिसमें 0.93 हे. में खनन् कार्य किया गया है तथा 2015 से खदान बंद है । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल एमेज अनुसार खदान 02 भागो में आवंटित है जिसमें एक भाग लगभग 3.77 हे. तथा दूसरा भाग 0.73 हे. का है तथा प्रकरण लेटराईट एवं आयरन ओर माइनिंग का होने के कारण अधिकतम गहराई वी.जी.एल. से 02.0 मीटर होगी। प्रश्नाधीन खदान में कुछ पेड़ लगे दिख रहे है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन्

क्षेंत्र में 400 पेड़ लगे है जिसमें से मात्र 06 पेड़ नीम के काटा जाना प्रस्तावित है तथा उसके एवज् में 60 अतिरिक्त पेड़ पूर्व से लगाये जा चुके है । उत्तर–पश्चिम दिशा में 30 मीटर हाइवे, आवंटित क्षेत्र से लगा हुआ होटल तथा दक्षिण दिशा में 20 मीटर रोड़ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि होटल तथा हाईवे से 50 मीटर का सेट बेक प्रस्तुतीकरण में छोडा गया है तथा दक्षिण दिशा में 20 मीटर वाला रोड आस–पास स्थित अन्य खदानों का हॉल रोड़ है । आवंटित क्षेत्र के उत्त्र–पूर्वी दिशा में 40 मीटर पर आबादी है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आबादी से 10 मीटर का सेट बेक प्रस्तुतीकरण में छोडा गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण में ब्लास्टिंग नहीं है, रॉक ब्रेकर से उत्खनन् कार्य किया जावेगा । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि प्रकरण में की गई वायु गुणवत्ता मापन रिपोर्ट में पी.एम. 10 का अधिकतम मापन परिणाम 80 μg/m3 प्राप्त हुए है जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि आस–पास की खदानों में धूल नियंत्रण हेतु समुचित उपाय नही किये गये है अतः समक्ष प्राधिकारी को इस बावत् सूचित किया जाना चाहिए । इस खदान की जनसुनवाई के दौरान पक्की रोड़ से परिवहन, फसलों को नुकसान, धूल की समस्या, आबादी समीप होने से परेशानी एवं गॉव वालो के लिए पेयजल की व्यवस्था इत्यादि सुझाव प्राप्त हुए थे, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा ई.एम.पी. ⁄ सीईआर मे समुचित बजट को शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा तथा प्रकरण ब्लस्टिंग प्रस्तावित नहीं है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता **आयरन ओर** – 7058 टीपीए_प्रति वर्ष **एवं लेटराईट** 24,982 टीपीए_प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 17.24 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 13.50 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 07.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

Commitment towards public hearing Issue in terms of Physical Target		
SN	**Issues**	**Cost in RS**
1	Deepening of Buraghar pond	1.00clakh
2	To provide two hand pump at village Rampur for drinking water facility	1.00clakhs
3	Plantation distributing at village i.e. Rampur, Gandhigram, @2000	1.0 lakhs
4	Contribution of construction of road	1.00Lakhs
5	Water harvesting through shaft/rooftop/RWH shaft	1.00lakhs
6	Vocational training for mining mat@5 person@0.50lakhs	2.50lakhs
	Total	**7.50 lakh**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 8320 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

Plant Species For Mine Area, Transportation Road And Village Distribution				
Phase	**Location**	**Name of Tree/ shrub/Herbs**	**No. of Plants**	**Remark**
1st year	In barrier zone and Road side	Chirol, Karanj, jangle Jalebi, Khamer, Neem, Sissoo, and other local species	850	Inside Fencing (Trench of 45 cm will be provided with channelling facility Over heap and along the drain. Drain will be inside the lease area which will be fenced
2nd year	In backfilled area and Road side	Chirol, Karanj, jangle Jalebi, Khamer, Neem, Sissoo, and other local species	1800	Trench of 45 cm will be provided with channelling facility
3rd year to CP	backfilled area	Chirol, Karanj, jangle Jalebi, Khamer, Neem, Sissoo, and other local species	3450	Trench of 45 cm will be provided with channelling facility

Plant Species For Mine Area, Transportation Road And Village Distribution				
Phase	**Location**	**Name of Tree/ shrub/Herbs**	**No. of Plants**	**Remark**
1st year to 2nd year	Along the transport route (400m) 2.5m distance with 1m height	Jamun, Arjun, Khamar, Neem, Gular, Kadamb, Sisoo, Karanj, Pipal, and other local species with tree guard	320	Distance between two trees – 2.5m
	Total		**6320**	
	For village distribution	Neem, Mango, Guava, Imli, Awala, Bel, Munga, Mahua and other local species	2000	-
	Total		**8320**	

2. **Case No 8830/2021 Shri Amit Sharma S/o Shri Laxminarayan Sharma, Dana Oil New Sarafa, Lashkar, Dist. Gwalior, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.0 ha. (34000 Cum per annum) (Khasra No. 3921), Village - Biloua, Tehsil - Dabra, Dist. Gwalior (MP) Consultant Shri Amit Saxena Apex Mintech Udaypur (Rj.)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 3921), Village - Biloua, Tehsil - Dabra, Dist. Gwalior (MP) 1.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 534वीं दिनांक 15/12/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण सेक की 635वीं बैठक दिनांक 08/04/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

3. **Case No 9259/2022 Smt. Binu Solanki, Owner Village - Jiwangarh, Tehsil - Alot, Dist. Ratlam, (MP), Prior Environment Clearance for Stone (Gitti) Quarry in an area of 2.0 ha. (25000 cum per annum) (Khasra No. 385/2/2) Village - Jiwangarh, Tehsil - Alot, Dist. Ratlam, (MP) Consultant Shri Amit Saxena Apex Mintech Udaypur (Rj.)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 385/2/2) Village - Jiwangarh, Tehsil - Alot, Dist. Ratlam, (MP) 2.0 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 534वीं दिनांक 15/12/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

635वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 अप्रैल 2023

आज दिनांक 08/04/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री बीनू कुंवर सोलंकी (ऑनलाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना एवं सुश्री रीना त्रिवेदी, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान के उत्तर–पश्चिम दिशा में 190 मीटर पर रोड़ है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि 10 मीटर का सेट बेक प्रस्तुतीकरण में छोडा गया है । प्रश्नाधीन खदान के पूर्वी दिशा में 770 मीटर पर तालाब है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इसके सरंक्षण हेतु गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक प्रस्तावित किये गये । खदान का मध्य भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह वर्ष 2013 से खुदा है, तत्संबंध में विवरण अनुमोदित खनन् योजना में दर्ज है तथा हमे यह खदान इसी स्थिति में प्राप्त हुई है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–22 के सरल क्रमांक–31 पर दर्ज है। इस खदान की जनसुनवाई के दौरान पानी का छिड़काव, वृक्षारोपण, धूल से बचाव इत्यादि सुझाव प्राप्त हुए थे, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा ई.एम.पी./सीईआर मे समुचित बजट को शामिल किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा तथा कंट्रोल ब्लस्टिंग की जायेगी । **प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र से लगे हुये माइनिंग क्षेत्र में पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है।** परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 25,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 14.94 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 03.46 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधियां	राशि रू.
ग्राम आलोट के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में बाउंड्री वॉल और खेल के मैदान का निर्माण किया जायेगा	1,00,000
ग्राम जीवनगढ़ एवं माल्या में चिकित्सा शिविर का आयोजन किया जायेगा (वर्ष मे 02 बार)	50,000
कुल	1,50,000/–

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सिस्सु आदि।	180

2.	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (पेड़ो की न्यूनतम् ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	400
3.	खदान पट्टे के पश्चिम दिशा में 190 मीटर की दुरी पर पक्का रोड है जो की माल्या और आलोट ग्राम तक है इस रोड के एक तरफ 300 मीटर की लम्बाई तक दो लाइनों में पौधे लगाए जायेंगे	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, आदि	150
4.	खनन पट्टे की उतरी दिशा में राम सिंह दरबार मंदिर परिसर लगभग 0. 80 हैक्टेयर में 960 पौधे एवं मुख्य सडक से मंदिर परिसर की सडक (200 मीटर) के दोनो ओर दो लाइनों में लगभग 200 पौधें लगाये जायेगें।	नीम, पीपल, कचनार, करंज, कदम, चिरोल, खमेर, बरगद, उतरजीवा आदि	1,160
5.	खदान के उत्तर पूर्वी दिशा में 165 मीटर पर तालाब के पास 250 पौधे एवं खदान के दक्षिण दिशा में 770 मीटर पर तालाब के पास 260 पौधें लगाए जाएगें।ट्री गार्ड के साथ में	नीम, पीपल, करंज, जामुन, सफेद कस्टार, कचनार, कदम, आदि	510
		योग	2400

4. **<u>Case No 9785/2023 Shri Vaibhav Jain, R/o 102, Prakash Talkies ke Samne, MG Road, Nagda, District-Ujjain (MP)-456335, Prior Environment Clearance for Banbana Stone Deposit in an area of 1.500 ha. (12370 Cum per annum) (Khasra No. 1268, 1269 Govt.) Village-Banbana, Tehsil-Nagda, District-Ujjain (MP)</u>**

This is case of Stone Deposit. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1268, 1269 Govt.) Village-Banbana, Tehsil-Nagda, District-Ujjain (MP) 1.500 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 08/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री वैभव जैन (ऑन लाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना एवं सुश्री रीना त्रिवेदी, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 541 दिनांक 28/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नही दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है, जिसके पूर्वी दिशा में 30 मीटर पर मंदिर, पूर्वी दिशा में ही 50 मीटर पर कच्चा रोड़ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मंदिर के कारण खनन् के दौरान ब्लास्टिंग नही की जायेगी तथा खनन् कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जायेग जिस हेतु शपथ–पत्र प्रस्तुत करेगे । आवंटित खनन् क्षेत्र खुदा हुआ है, जिसमें गूगल इमेज अनुसार वर्ष 2013 से खनन् किया जाना दृष्टिगत हो रहा है तथा आंवटित खनन् क्षेत्र में क्रेशर भी स्थापित है । इसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह प्रकरण लीज स्थानांतरण / नवीनीकरण का है जो पूर्व में श्री रमेश जैन को आंवटित था तथा उनकी आकस्मिक मृत्यु के कारण उनके पुत्र परियोजना प्रस्तावक श्री वैभव जैन

को दिनांक 04/02/21 में नवीनीकरण के माध्यम से प्राप्त है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक–36 पर दर्ज है।

परियोजना प्रस्तावक ने ऑनलाईन अपलोडेड दस्तावेजों में यह उल्लेखित किया है कि :–

"LETTER NO. DEIAA/2016/2014 BHOPAL, (M.P.) DATED 17.10.2016. WHILE GRANTING EC IN RESPECT OF BANBANA STONE QUARRY [KHASRA NO. 1268,1269] AREA 2.00 HA., NEAR VILLAGE BANBANA, TEHSIL NAGDA, DISTRICT UJJAIN, (M.P.) (LESSEE: SHRI RAMESH JAIN)"

उपरोक्त से प्रतीत होता है कि इस प्रकरण में डिया से ई.सी. प्राप्त की गई है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण में डिया से ई.सी. प्राप्त की गई थी तथा पूर्व में एरिया 2.0 हे. जो अब 1.50 हे. आवंटित किया गया है। समिति ने पाया कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान में पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो का पालन किया जाना दृष्टिगत नही होता चूंकि प्रकरण पूर्व से पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त है अतः परियोजना प्रस्तावक से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तो का पालन प्रवितेदन प्राप्त किया जाये ।

5. **Case No 9779/2023 Shri Kamlesh Sharma, R/o Village-772, Prarthik Nagar, Near Anand Bhawan, Bijoliya, District-Bhilwara (Rj.)-311602, Prior Environment Clearance for Arniya Flag Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (10000 Cum per annum) (Khasra No. 10, 11 Govt.) Village-Arniya, Tehsil-Singoli, District-Neemuch (MP)**

This is case of Flag Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 10, 11 Govt.) Village-Arniya, Tehsil-Singoli, District-Neemuch (MP) 4.00 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 08/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री कमलेश शर्मा और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना एवं सुश्री रीना त्रिवेदी, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1743 दिनांक 29/12/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नही होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है, जिसके आवंटित खनन् क्षेत्र खुदा हुआ है, जिसमें गूगल इमेज अनुसार वर्ष 2013 से खनन् किया जाना दृष्टिगत हो रहा है इसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पुराना पिट है तथा हमें यह खदान नवम्बर, 2022 में आवंटित हुई है तथा हमारे द्वारा खनन् कार्य नही किया गया है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1743 दिनांक 29/12/22 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य

खदान स्वीकृत/संचालित नही होने की जानकारी दी गई है जबकि अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार 500 मीटर की परिधि में दक्षिण–पश्चिम दिशा में अन्य खदान परिलक्षित हो रही है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह काफी पुरानी खदान है (जो पुरानी गूगल इमेज अनुसार 2009 से भी पूर्व की है) एवं अब संचालित नही है इसी कारण खनिज अधिकारी ने इनका विवरण अपने प्रमाण–पत्र में दर्ज नही किया गया है। अतः समिति ने अनुशंसा की कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1743 दिनांक 29/12/2022 जारी एकल प्रमाण पत्र के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल कर अनुशंसा सिया को प्रेषित की जाये । आंवटित खनन् क्षेत्र में 19 पेड़ लगे है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इनमें से 17 पेड़ काटे जायेगे तथा उनके एवज् में 170 अतिरिक्त पेड लगाये जायेगे ।

एकल प्रमाण पत्र अनुसार प्रस्तावित खदान वन सीमा से 0 मीटर की दूरी पर है, इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण में संभागीय आयुक्त की समिति द्वारा बैठक दिनांक 25/08/22 में अनुमति प्रदान की गई। कार्यालय कलेकटर (खनिज शाखा) जिला नीमच के पत्र क्रमांक 1743 दिनांक 29/12/2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित की जावेगी । चूकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता फ्लेग स्टोन – 10,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 25.17 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.72 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.90 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सीईआर गतिविधियां	राशि रू.
ग्राम अरनिया के शासकीय प्राथमिक विद्यालय भवन का रंग रोगन एवं मरम्मत की जाएगी	90,000-/

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा

1.	बैरियर जोन	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, सफेद कस्टार, सिस्सू आदि।	1600
2.	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (पेड़ो की न्यूनतम् ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आदि	1200
3.	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, आदि	2000
		योग	4800

6. **Case No 9797/2022 M/s PSC Infratech, Partner Shri Satya Narayan, Patwala, R/o 32, B, Rajendra Nagar, District-Indore (M. P.)-452012, Prior Environment Clearance for Bedawanya Stone (Gitti) Quarry in an area of 0.790 ha. (25000 Cum per annum) (Khasra No. 726/1, 726/2, 731/2 Pvt.) Village-Bedawanya, Tehsil-Khachrod, District-Ujjain (MP)**

This is case of Stone (Gitti). The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 726/1, 726/2, 731/2 Pvt.) Village-Bedawanya, Tehsil-Khachrod, District-Ujjain (MP) 0.790 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 08/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सत्य नारायण पटवाला (ऑन लाईन) और उनकी और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री अमित सक्सेना एवं सुश्री रीना त्रिवेदी, मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 2104 दिनांक 25/11/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नही दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान निजी भूमि पर आवंटित है जिसके आवंटित खनन् क्षेत्र दो भागो में स्वीकृत है जिनका कुल रकबा 0.98 हे. है जो न्यूनतम स्वीकृत क्षेत्र 1.0 हे. से कम है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि चूंकि लीज का आवंटन एवं खनन् योजना का अनुमोदन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया है अतः इसे मान्य किया जाये। आवंटित खनन् क्षेत्र के उत्तर दिशा में 285 मी. पर नदी, पश्चिम दिशा में 200 मीटर पर रोड़ तथा आवंटित खनन् क्षेत्र के एक भाग से कच्चा रोड़ निकल रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना ने बताया कि यह कच्चा रोड़ नही बल्कि पगड्डी है। कार्यालय कलेकटर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 670 दिनांक 14/03/2023 के द्वारा सूचित किया गया है कि जिला डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट वर्ष 2022–23 में तैयार की गई है जबकि उक्त अस्थाई अनुज्ञा हेतु सैद्धांतिक जिला डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट तैयार होने के पश्चात् स्वीकृत की गई है। उक्त अस्थाई अनुज्ञा हेतु सैद्धांतिक में सम्पूर्ण प्रक्रिया

पूर्ण (अस्थाई अनुज्ञा संचालन) हो जाने उपरांत नवीन डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में सम्मिलित कर लिया जावेगा । चूकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांस के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 25,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 09.52 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 01.34 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित **गतिविधियां**	राशि रू.
ग्राम बेडावन्या के शासकीय प्राथमिक विद्यालय में खेल के मैदान का विकास किया जायेगा	1,50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 950 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1.	बैरियर जोन (प्रथम वर्ष में)	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, खमेर, सिस्सू आदि।	450
2.	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (पेड़ो की न्यूनतम् ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आदि	150
3.	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, आदि	350
		योग	950

7. <u>Case No 9766/2023 Shri Jitendra. Owner, R/o H.No. 6/1, Chakpatni, Rampur Chakpatni, District-Vidisha (MP)-464220 Prior Environment Clearance for Rampur Chakpatni Crusher Stone Quarry in an area of 1.547 ha. (10000 Cum per annum) (Khasra No. 63/3/1/2, 63/3/2, 64/2/1 Pvt.) Village-Rampur Chakpatni, Tehsil-Gulabganj, District-Vidisha (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 63/3/1/2, 63/3/2, 64/2/1 **<u>Pvt.</u>**) Village-Rampur Chakpatni, Tehsil-Gulabganj, District-Vidisha (MP) 1.547 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 08/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री जितेन्द्र यादव और और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 7623 दिनांक 26/12/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिसका कुल रकबा 5.0 हे. से कम है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान निजी भूमि पर आवंटित है जिसके दक्षिण दिशा में 210 मी. पर पक्का रोड़, पश्चिम दिशा में 50 मीटर पर मौसमी नाला तथा दक्षिण–पश्चिम दिशा में 530 मीटर पर आबादी है । परियोजना प्रस्तावक ने प्रस्तुतीकरण के दौरान अवगत कराया है, कि मौसमी नाला के संरक्षण हेतु गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक भी प्रस्तावित किये गये है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र में 04 पेड़ लगे है जिसको काटा जाना प्रस्तावित है तथा उसके एवज् में 40 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेगे । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के सरल क्रमांक–145 इस खदान का विवरण दर्ज है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 10,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.31 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 02.50 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.50 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

आगामी 5 वर्ष तक	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
1	ग्राम रामपुर चकपाटनी के प्राइमरी स्कूल में टॉयलेट निर्माण पानी की उचित व्यवस्था के साथ पानी मोटर	50,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा संख्या
बैरियर जोन (प्रथम वर्ष में)	नीम,सिस्सू, करंज,चिरोल, खमेर, सीताफल एवं अन्य प्रजातियाँ।	800
परिवहन मार्ग (पेड़ो की न्यूनतम् ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, करंज, खमेर एवं एवं अन्य प्रजातियाँ।	400
गाँव में वितरण	आम, जामुन, मुनगा एवं अन्य प्रजातियाँ।	800
Total		2200

8. <u>Case No 9765/2023 M/s Gaur Road Tarcoat Pvt Ltd, Director, Shri Kuldeep Singh Saluja, R/o Plot No. 2283, Sharda Chowk, Nagpur Road, District-Jabalpur (MP)-482001, Prior Environment Clearance for Shivri Murrum & Crusher Stone (Temporary Permit) in an area of 3.00 ha. (Murrum-25000 & Stone-150000 Cum per annum) (Khasra No. 115, 117/1) Village-Shivri, Tehsil-Bajag, District-Dindori (MP)</u>

This is case of Murrum & Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 115, 117/1) Village-Shivri, Tehsil-Bajag, District-Dindori (MP) 3.00 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 08/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री कुलदीप सिंह सलूजा और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 675 दिनांक 07/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नही दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान निजी भूमि पर आवंटित है तथा खदान के उत्तर–दक्षिण दिशा में 295 मीटर पर पक्का रोड़ है । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि एकल प्रमाण–पत्र में आवंटित खनन् क्षेत्र के 50 मीटर की दूरी पर बरसाती नाला उल्लेखित है किंतु गूगल इमेज में दृष्टिगत नहीं होता है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह मौसमी नाला है, जो खदान के उत्तर–पश्चिम दिशा में लगभग 10 मीटर दूरी पर है, जिसके कारण 50 मीटर का सेटबैक प्रस्तुतीकरण में दिया गया है तथा इसके संरक्षण हेतु गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक भी प्रस्तावित किये गये है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज कमांक–4 के सरल कमांक–13 पर दर्ज है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम – 25,000 मी^{3} प्रति वर्ष एवं स्टोन – 1,50,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 21.78 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 03.36 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

आगामी 5 वर्ष तक	सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
1	शिवरी प्राथमिक शाला में 02 टॉयलेट निर्माण (पानी की व्यवस्था के साथ) शिवरी प्राथमिक शाला में 01 कंप्यूटर सिस्टम	2,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यकम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 3600 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

वृक्षारोपण हेतु स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	संख्या
बैरियर जोन	नीम,पीपल,करंज,चिरोल, खमेर, सीताफल एवं अन्य प्रजातियाँ	2000
परिवहन मार्ग (पेड़ो की न्यूनतम् ऊँचाई 01 मीटर)	नीम,करंज, चिरोल, खमेर एवं अन्य प्रजातियाँ	170
गाँव में वितरण	आम, कटहल, सीताफल, निम्बू एवं अन्य प्रजातियाँI	1430
Total		3600

9. Case No 9774/2023 Shri Sunil Jain Owner, R/o Kalabag, Bareth Road, Tehsil-Basoda, District-Vidisha (MP) Prior Environment Clearance for Rabaryai Crusher Stone Quarry in an area of 1.772 ha. (5700 Cum per annum) (Khasra No. 78/1 Govt.) Village-Rabaryai, Tehsil-Basoda, District-Vidisha (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 78/1 Govt.) Village-Rabaryai, Tehsil-Basoda, District-Vidisha (MP) 1.772 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 08/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री सुनील जैन और उनकी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 2121 दिनांक 23/08/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नही होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है, जिसके पूर्व दिशा में 480 मीटर पर पक्का रोड़ है तथा उत्तर दिशा में 240 मीटर पर शेड है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह शेड उद्योगों के हैं, जिसमें पत्थर काटने का कार्य किया जाता है । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 2122 दिनांक 23/08/2022 के द्वारा सूचित किया गया है कि खनन पट्टे के ब्यौरे को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जावेगा।. चूकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांश के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के पास 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदानें दृष्टिगत हो रही है जबकि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 2487 दिनांक 23/08/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नही होने की जानकारी दी गई है । इस संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि ये काफी पुराने पिट हैं, जो गूगल इमेज अनुसार 2005 से भी पूर्व के है तथा वर्तमान में इनमें कोई कार्य नहीं किया जा रहा हैं । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र खुदा हुआ है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व में यह खदान श्रीमती राजकुमारी रघुवंशी को वर्ष 2010 से 2020 तक आवंटित थी तथा हमको दिनांक 24/02/22 को स्थानांतरित हुई है । इस खदान में उत्खनन् कार्य 2014–15 तक हुआ है, जिसमें 10,380 घनमीटर का उत्पादन किया गया है,

जिसका विवरण अनुमोदित खनन् योजना में दर्ज है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण पूर्व में डिया से ई.सी. प्राप्त की गई थी । अतः समिति की अनुशंसा है कि यदि प्रकरण में पूर्व में डिया से ई.सी. प्राप्त की गई है तो उसका विवरण तथा शर्तो का पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाये ।

10. Case No 9762/2023 Shri Devraj Gurjar, Leessee, R/o Chhayan, District-Rajgarh (MP)-465661, Prior Environment Clearance for Talawada Crusher Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (3763 Cum per annum) (Khasra No. 34, Govt. Village-Talawada, Tehsil-Rajgarh, District-Rajgarh (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 34, Govt. Village-Talawada, Tehsil-Rajgarh, District-Rajgarh (MP) 1.00 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 08/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री देवराज गुर्जर और और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 103 दिनांक 14/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नही होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है जिसके दक्षिण दिशा में 30 मीटर पर मौसमी नाला, दक्षिण–पूर्व दिशा में 40 मीटर पर तथा पश्चिम दिशा में 140 मीटर पर जल रोकने की संरचना निर्मित है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि दक्षिण दिशा में 20 मीटर का सेटबैक प्रस्तुतीकरण में छोड़ा गया है तथा इनके संरक्षण हेतु गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक भी प्रस्तावित किये गये है। इसी प्रकार आवंटित खनन् क्षेत्र के पूर्वी भाग में से एक मौसमी नाला निकल रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नाले से 50 मीटर का सेट बेक छोडा गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि सेक बेंक छोडने के पश्चात् खनन् हेतु 0.41 हे. का क्षेत्र उपलब्ध है एवं चूंकि उत्पादन क्षमता 3,763 घनमीटर / वर्ष है, अतः बचा हुआ क्षेत्र खनन् हेतु पर्याप्त है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र में 02 पेड़ लगे जिसमें से एक पेड़ काटा जायेगा तथा उसके एवज् में 10 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेगे । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक **103 दिनांक 14/02/2023** के द्वारा सूचित किया गया है कि खनन पट्टे के ब्यौरे को जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में सम्मिलित किया जावेगा।. चूकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांश के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 3763 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 12.78 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 02.91 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
शासकीय प्राथमिक स्कूल, तलावडा में फर्निचर (10 नग बेंच व डेस्क) एवं 2 अलमारी	60,000
योग	**60,000**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1210 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

वर्षवार	प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्यामें)
प्रथम वर्ष	बैरियर जोन	नीम, सिस्सू, कदम्ब, करंज, चिरोल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	610
	परिवहन मार्ग (पेड़ो की न्यूनतम् ऊॅचाई 01 मीटर)	कदम्ब, कचनार, गुलमोंहर, नीम, पीपल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ	100
	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	500
कुल			1210

11. Case No 9763/2023 Shri Dilip Mehta, Leessee, R/o 55, Ward No. 2, Bada Bazar, Narsinghgarh, District-Rajgarh (MP) Prior Environment Clearance for Jalampura Crusher Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (15141 Cum per annum) (Khasra No. 32/3, Govt. Village-Jalampura, Tehsil-Khilchipur, District-Rajgarh (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 32/3, Govt. Village-Jalampura, Tehsil-Khilchipur, District-Rajgarh (MP) 4.00 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 08/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री दिलीप मेहता और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 136 दिनांक 20/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नही होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान शासकीय भूमि पर आवंटित है, जिसके पूर्व दिशा में 475 मीटर पर पक्का रोड़ तथा प्राकृतिक नाला दक्षिण–पश्चिम दिशा में 250 मीटर पर है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्राकृतिक नाले के संरक्षण हेतु गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक भी प्रस्तावित किये गये है। परियेाजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 136 दिनांक 20/02/2023 के द्वारा सूचित यिका है कि यह खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में जोड़ी जायेगी । चूकि नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के विवरण दर्ज नही है अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांश के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आंवटित खनन् क्षेत्र के उत्तर दिशा में 310 मीटर की दूरी पर एक अन्य खदान कार्यरत दिख रही है जबकि **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 136 दिनांक 20/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य कोई खदान स्वीकृत/संचालित नही होने की जानकारी दी गई है** । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस संबंध में उनके द्वारा पुनः खनिज अधिकारी से जानकारी प्राप्त की गई है तथा उन्होने पत्र क्रमांक 259 दिनांक 06/04/23 के माध्यम से अवगत कराया कि 500 मीटर की परिधि में दिख रही अन्य खदान स्वाईल क्वेरी है जिस पर एक टी.पी. स्वीकृत है जिसमें पर्यावरणीय अभिस्वीकृति की आवश्यकता नही है तथा एक अन्य खदान 514 मीटर की दूरी पर है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि

आवंटित खनन् क्षेत्र में 05 पेड लगे है तथा उसे काटा जायेगा तथा उसके एवज् में 50 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेगे । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 15,141 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 20.90 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 03.85 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित **गतिविधियां**	राशि रू.
शासकीय महाविद्यालय खिलचीपुर में लाइब्रेरी के लिए 4 अलमारी एवं 1 वाटर प्युरीफायर	60,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4850 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क.	प्रस्तावित स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा
1.	बैरियर जोन	सफेद सिरस, काला सिरस, सेमल, सफेद कस्टार, सिस्सू, चिरोल, नीम, महुआ, जंगल जलेबी, करंज, खमेर, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	2050
2.	परिवहन मार्ग के दोनों तरफ (पेड़ो की न्यूनतम् ऊँचाई 01 मीटर)	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, पुत्रंजीवा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ ।	200
3.	ग्रामवासियों मे वितरण हेतु	आवंला, नीबू, बेल, आम, जामुन, कटहल, मुनगा, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	2300
4.	शासकीय महाविद्यालय खिलचीपुर की बाउंड्री वॉल की तरफ एवं ग्राम पंचायत भवन	कदम्ब, कचनार, चिरोल, नीम, पीपल, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ ट्री गार्ड के साथ ।	300
		योग	4850

12. Case No 9768/2023 M/s Ascon Infratech Private Limited, Neelkamal Shopping Mall, Ward No. 2, Bhopal Road, Parasia, District-Chhindwara (MP)-480441 Prior Environment Clearance for Tikrakhamhariya Murrum & Crusher Stone Temporary Permit in an area of 1.00 ha. (Murum-20000 & Stone-82942 Cum per annum) (Khasra No. 1/1, 1/2, 1/3 Pvt.) Village-Tikrakhamhariya, Tehsil-Shahpura, District-Dindori (MP)

This is case of Murrum & Crusher Stone. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1/1, 1/2, 1/3 Pvt.) Village-Tikrakhamhariya, Tehsil-Shahpura, District-Dindori (MP) 1.00 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

आज दिनांक 08/03/23 को परियोजना प्रस्तावक श्री दिलीप मेहता (ऑन लाईन) और और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 687 दिनांक 09/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.00 हे. से कम होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आंवटित खनन् क्षेत्र के उत्तर–पूर्व दिशा में 400 मीटर की दूरी के अंदर 02 अन्य खदान कार्यरत दिख रही है जबकि **कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 136 दिनांक 20/02/2023 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है** । जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान अस्थायी अनुज्ञा के रूप में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1104 दिनांक 20/12/2017 के माध्यम से 20/12/17 से 19/11/2018 तक स्वीकृत थी तथा इसकी अवधि अब समाप्त हो गई है अतः वर्तमान स्थिति में सिर्फ एक खदान कार्यरत है जिसका उल्लेख एकल प्रमाण–पत्र में किया गया है । समिति ने पाया कि उपरोक्त अस्थायी अनुज्ञा मेंसर्स एस. अमोलक कंस्ट्रशन, जबलपुर को स्वीकृत हुई थी तथा वर्तमान में उपलब्ध गूगल इमेज अनुसार खदान में पर्यावरणीय संरक्षण हेतु कोई कार्य किया जाना दृष्टिगत नही होता अतः इस संदर्भ में सक्षम प्राधिकारी/संबंधित जिला कलेक्टर को सिया के माध्यम से अस्थायी अनुज्ञा धारक मेंसर्स एस. अमोलक कंस्ट्रशन, जबलपुर के विरूद्ध कानूनी कार्यवाही करने बावत् सूचित किया जाना उचित होगा ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माईन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान निजी भूमि पर आवंटित है जिसके दक्षिण दिशा में 100 मीटर पर पक्का रोड़, उत्तर दिशा में 500 मीटर पर तालाब तथा दक्षिण–पूर्व दिशा में 10 मीटर पर बरसाती नाला है । इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने प्रस्तुतीकरण के दौरान अवगत कराया है, कि नाले के कारण 40 मीटर का सेटबैक प्रस्तुतीकरण में छोड़ा गया है तथा इसके संरक्षण हेतु गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक भी प्रस्तावित किये

गये है तथा नॉन माईनिंग जोन छोडने के बाद 0.90 हे. क्षेत्र खनन् हेतु उपलब्ध है। आवंटित खनन् क्षेत्र में एक पेड़ महुआ का लगा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इसे काटा जायेगा तथा इसके एवज् में 10 अतिरिक्त पेड़ महुआ के लगाये जायेंगे । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–4 के सरल क्रमांक–19 पर दर्ज है।
परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 82,942 मी^{3} प्रति वर्ष तथा मुरूम – 20,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 7.74 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 02.17 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
टिकराखम्हरिया आंगनबाड़ी में 1 वर्ष तक पोषण आहार वितरण	1,00,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

वृक्षारोपण हेतु स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	संख्या
बैरियर जोन	नीम,पीपल,करंज,चिरोल, खमेर, सीताफल एवं अन्य प्रजातियाँ	700
परिवहन मार्ग (पेड़ो की न्यूनतम् ऊँचाई 01 मीटर)	चिरोल, करंज, खमेर एवं अन्य प्रजातियाँ	100
गाँव में वितरण	आम, कटहल, मुनगा, निम्बू एवं अन्य प्रजातियाँ।	400
Total		1200

13. **Case No 9601/2023 M/s Ankita Stone Crusher, Proprietor, Ms. Pratima Singh, R/o Village-Haweli, Tehsil-Pushprajgarh, District-Anuppur (MP) Prior Environment Clearance for Haweli Stone Quarry in an area of 1.408 ha. (12540 cum per annum) (Khasra No. 547/1, 547/3 Waste land), Village-Haweli, Tehsil-Pushprajgarh, District-Anuppur (MP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 547/1, 547/3 **Waste land**), Village-Haweli, Tehsil-Pushprajgarh, District-Anuppur (MP) 1.408 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की पूर्व 623वी बैठक दिनांक 22/02/23 को प्रस्तुत हुआ था जिसमें परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

प्रकरण सेक की 623वी बैठक दिनांक 22/02/23 एवं 635वीं बैठक दिनांक 08/04/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु 02 अवसर देने के बाद भी प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित रहने के कारण इस प्रकरण को डिलिस्ट करने की अनुशंसा के साथ प्रकरण सिया को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे ।

14. **Case No 9713/2023 Shri Raj Rathore, Lessee, R/o 380, Gram-Amba, Tehsil-Piploda, District-Ratlam (MP)-457331, Prior Environment Clearance for Piploda Stone (Gitti) Quarry in an area of 3.00 ha. (20000 Cum per annum) (Khasra No. 29 Govt.), Village-Piploda, Tehsil-Piploda, District-Ratlam (MP)**

This is case of Stone (Gitti) Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 29 Govt.), Village-Piploda, Tehsil-Piploda, District-Ratlam (MP) 3.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की पूर्व 631वीं बैठक दिनांक 18/03/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

प्रकरण सेक की 631वी बैठक दिनांक 18/03/23 एवं 635वीं बैठक दिनांक 08/04/23 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक / उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक प्रस्तुतीकरण हेतु 02 अवसर देने के बाद भी प्रस्तुतीकरण हेतु अनुपस्थित रहने के कारण इस प्रकरण को डिलिस्ट करने की अनुशंसा के साथ प्रकरण सिया को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावे ।

15. <u>Case No 8894/2021 M/s J.K. Medical Waste Management System, Smt. Pramila Sharma, Partner, House No. 85, Vinay Graha Nirman Society, Bawadiya Kalan, Dist. Bhopal, MP Prior Environment Clearance for Common Bio-Medical Waste Treatmet Facility, at Village - Rauda Chhapar, Tehsil & Dist. Shivpuri, MP</u>

This is case of Prior Environment Clearance for Common Bio-Medical Waste Treatment Facility, at Village - Rauda Chhapar, Tehsil & Dist. Shivpuri, M.P. Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 555th SEAC dated 24/02/2022 wherein ToR was recommended and issued vide letter NO. 3379 dated 17/03/22. PP has online submitted the EIA report forwarded through SEIAA and the same was scheduled in the agenda.

The case was scheduled for the presentation wherein it was observed that PP vide their e-mail dated 06.12.2022 informed that due to unavoidable circumstances they are unable to attend the meeting dated 07.12.2022 and requested to defer the case for presentation & provide an opportunity to present case in the next upcoming agenda. The committee accepted PP's request and deliberated that this case may be scheduled in the subsequent SEAC meeting as per PP's request. If PP even remains absent in the meeting when this case is scheduled for presentation, the case shall be delisted assuming that PP is not interested to continue with the project.

In this meeting the EIA was presented by Environment Consultant Shri G.K. Mishra (online) from M/s. Amaltas Enviro Industrial Consultants LLP, Gurugram and Mrs. Pramila Sharma. During presentation following details were furnished by the PP:

- M/s. JK Medical Waste Management System is proposing to establish Common Bio-Medical Waste Treatment Facility in Rauda Chhapar, Shivpuri District to provide cleaner and healthier environment.
- The project Incharge is M/s. JK Medical Waste Management System (Proprietor).
- The project site is plot having an area of 4200 Sq.mt. (1.03 Acre) land is on lease for proposed Common Bio Medical Waste Treatment Facility.
- A Common Bio-medical Waste Treatment Facility (CBWTF) is a set up where bio-medical waste, generated from a number of healthcare units, is suitably treated to

reduce adverse effects that this waste may pose. The treated waste may finally be sent for disposal in a secured landfill or for recycling purposes.

- Collection, transportation, storage & treatment of Bio Medical Waste as stipulated in Bio-medical Waste (Management & Handling) Rules 1998 as amended in 2016 and CPCB Guidelines for installation of Common Bio-medical Waste Treatment Facility.
- The project is categorized under Item 7(d)(a) of the Schedule-Gazette Notification dated 17th April, 2015 of MoEF&CC, therefore, the project requires prior Environmental Clearance.
- Project was considered for TOR in 555th meeting of SEAC held on 24.02.2022 and 709th SEIAA meeting held on 07.03.2022 and got TOR on dated 17.03.2021.
- The environment baseline data for the project was obtained for the season of winter, 2021-22 i.e., 1st December 2021 to 28th February 2022.

Name of the project	Common Bio Medical Waste Treatment Facility (CBWTF)
Promoter	**Mrs. Pramila Sharma of M/s JK Medical Waste Management System**
Location of Industry	Khasra no. 356, Rauda Chhapar, District Shivpuri (M.P)
Total Plot Area	**4200 Sq.mt.** (1.03 Acre)
Open Area	2940.0 sq.mt.
Green Area	1421.17 sq. mt.
Capacity	❖ 1 No. Incinerator of capacity 200 kg/hr (Dry) ❖ 1 No. Autoclave of capacity 1000 kg/hr ❖ 1 No. Shredder of capacity 200 kg/hr each ❖ ETP Capacity – 7.5 KLD
Water Requirement	Approximately 5 KLD of water required during construction of the unit from Ratikirar Village Panchayat. During construction phase, required water will be sourced by government.

PROJECT SITE JUSTIFICATION

Location	The CBWTF shall be located as near to its area of operation as possible in order to minimize the travel distance in waste collection.	CBWTF site is located near Khasra No. 356, Vill.: Rauda chhapar, District – Shivpuri, Madhya Pradesh

	A CBWTF shall be located at a place reasonably far away from residential and sensitive area so that it has minimal impact on these areas.	CBWTF is reasonably far away from residential and sensitive areas.
	The location shall be decided in consultation with the State Pollution Control Board (SPCB)/Pollution Control Committee (PCC).	The project will commence only after acquiring necessary NOC from Madhya Pradesh Pollution Control Board.
Land Requirement	Minimum required land for CBWTF is 1 acre to provide sufficient space for project machinery and vehicle movement.	The project area is 1.03 Acre(4200 sq.m.).
Coverage Area	The coverage area of CBWTF site should be only one site for catering 10,000 beds or 150 kms radius.	Only one CBWTF site is available in Shivpuri district.

GAP ANALYSIS

Sr. No.	**District**	**Distance**	**No. of Beds**
01	Shivpuri – Shivpuri	0 Km	1170
02	Shivpuri – Guna	103 Km	1000
03	Shivpuri – Ashoknagar	119 Km	1140
04	Shivpuri – Rajgarh	220Km	970
Total Beds			**4280**

As per specific TOR condition, PP shall obtain CTE from the MP Pollution Control Board and same shall be appended with EIA report for which PP submitted that they are in the process of obtaining CTE. It was further observed that PP has not submitted the source of data for gap analysis. Thus PP shall get the gap analysis authenticated from Government agency / concerned regional office or head office of M. P. Pollution

Control Board, Bhopal. Committee further suggested that if any case is pending in any court of law pertaining to this facility, the order of court shall be final and binding for all concerned and EC shall be subjected to the order of Hon'ble Court/Tribunal. During presentation, PP submitted that it's a backup plan as they have another facility in chanderi, thus committee asked PP to elaborate on backup plan in detail. After presentation and discussion PP was asked to submit following revised details:

1) Copy of CTE obtained from MP Pollution Control Board for this proposed facility.
2) The Gap analysis authenticated from Government agency / concerned regional office or head office of M. P. Pollution Control Board, Bhopal shall be submitted.
3) PP shall furnished details of any litigation pending in court of law/NGT and any Judgment passed by Hon'ble Court/Tribunal within against this proposed facility with the summary and order copies.
4) Discussion on Best Available Technology proposed for this facility as there were several issues raised in the public hearing.
5) Revised plantation scheme and species as suggested by the committee.
6) Revised EMP including proposal for CEQMS.
7) Revised CER as suggestion given by committee.
8) Detailed Carbon Emission foot print analysis be submitted considering vehicular emission as well.
9) Address public hearing issues properly with proposed mitigation measures (habitation at NE side) and details of appropriate budgetary provisions in EMP.

In this meeting the EIA query reply was presented by Environment Consultant …from M/s. Shivalik Solid Waste Management Limited and Mrs. Pramila Sharma PP. During presentation it was submitted by PP that they have changed the consultant and now this case M/s. Shivalik Solid Waste Management Limited are our consultant for which information is submitted through mail and in presentation also.During presentation, PP submitted that CTE for proposed CBMWTF in district Shivpuri from MP Pollution Control Board is under process. The proponent, M/s JK Medical Waste Management system is presently operating a Common Biomedical waste treatment Facility at Godhan in Ashok Nagar district and collecting the biomedical waste from Guna, Rajgarh, Ashok Nagar, Shivpuri Tikamgarh and Newari districts. The proposed facility at Shivpuri is more than 75 Km away will act as Standby Facility for CBMWTF at Ashok Nagar during breakdown/ maintenance period. This will also act as stand alone Facility for the collection and disposal of biomedical waste from HCF located in district Shivpuri within 48 hours as stipulated in BMW Rules. MPPCB has identified 55 Health Care Facilities located in Shivpuri district having 622 beds in Govt and 273 beds in private HCF (total 985 beds)

beside. As per Department of Health MP, in district Shivpuri there is one District Hospital, (400beds) 9 CHC with sanctioned strength of 30 beds (270 Beds) 13 PHCs with sanctioned strength of 6 beds (78 beds) and 263 Sub Center. Smt. Rajmata Vijayaraje Scindia Medical College with 550 bedded hospitals is under establishment.There are number of Private hospitals, Clinics and Veterinary hospitals concentrated near Shivpuri town. Proposed CBMWTF at Shivpuri will be collecting and disposing the biomedical waste after treatment from Shivpuri and other surrounding districts as per the directions of MPPCB. The Gap Analysis Report published by MPPCB (As per CPCB Guidelines for Common Bio-medical Waste Treatment & Disposal Facilities at clause 2(b),**)** on its website, it is recommended that atlease one facility may be allowed in each district as per field conditions and endorses one CBMWTF in district Shivpuri.

During presentation PP submittd that they have carried out the gap analysis which is as follows:

- ❖ MPPCB has identified 55 Health Care Facilities located in Shivpuri district. having 622 beds in Govt and 273 beds in private HCF (total 985 beds)beside
- ❖ As per Department of Health MP, in district Shivpuri there is one District Hospital, (400beds) 9 CHC with sanctioned strength of 30 beds (270 Beds) 13 PHCs with sanctioned strength of 6 beds (78 beds) and 263 Sub Center.
- ❖ Smt. Rajmata Vijayaraje Scindia Medical College with 550 bedded hospitals is under establishment.
- ❖ There are number of Private hospitals, Clinics and Veterinary hospitals concentrated near Shivpuri town.
- ❖ Proposed CBMWTF at Shivpuri will be collecting and disposing the biomedical waste after treatment from Shivpuri and other surrounding districts as per the directions of MPPCB.

Considering the growth of medical facilities in comming years and plan of GoMP for establishing one medical college in each district the establishment of this facility is viable and justified. **However, this gap analysis is self assessment of PP and not authenticated by any Government agency / concerned regional office or head office of M. P. Pollution Control Board, Bhopal.**

PP further submitted that no litigation is pending in court of law/NGT against the proposed facility and all the instrument i.e., Incinerator with APCD (Dry Technology), Autoclave, Shredder and ETP proposed to be installed shall meet the prescribed standards as specified in the Bio Medical Waste Management Rules, 2016 and as per CPCB guidelines.

The proposed faculty is designed as per CPCB norms and standards with following configuration and DG set of 100 KVA:

S. No.	Equipment/Machinery	Capacity	Nos.
1.	Dry Incinerator	200 kg / hrs.	1
2.	Autoclave	1000 kg/hrs.	1
3.	Shredder	200 kg/hrs.	1
4.	Effluent Treatment Plant	7.5 KLD	1

PP further submitted that it is proposed to carry out planation of 405 trees in the 33.8% (1421.17 sq.mt.) of project area located at Kharsa No 356. Additionally, plantation of 676 trees shall be carried out in adjoining land measuring 2600 sq. mt., at khasra no 355 (Owner Mrs. Pramila Sharma), In village Rauda Chhaper plantation of about 840 plants will be done in consultation with GramPanchayat. The total estimated cost for plantation of about 1921trees and 100 shrubs is Rs 4.0 lakh and 01 lakh/year has been kept as recurring expense for maintenance of green area. PP submitted that they have revised EMP including proposal for CEQMS, CER as suggestion given by committee and addressed all the issues raised in public hearing. PP submitted that this will be ZLD unit wherein no liquid waste will be discharged outside of plant premises and treated effluent will be used for plantation. All the emissions will be discharged after treatment (through scrubber) as per CPCB protocol from the stack of adequate 30 meters height. Trees will be planted within the project area and to avoid the odor nuisance Ecksorb will be spread and timely disposal of waste will be carried out. PP submitted that they have addressed the issues raised during public hearing and appropriate budgetary allocations have been made in the EMP and CER.

After presentation committee observed that recently there are number of cases for BMW Disposal Facilities that are being submitted by PP for EC and peoples (Mr. Shalandra Bajpai, dated 16/02/22 forwarded by MoEF&CC vide letter dated 01/11/22) are also making complaints/representations for these new facilities relating to location of facilities and gap analysis (bed capacity of 10,000 beds as per CPCB guidelines of CBWTF). The committee has evaluated the proposals on the basis of siting criteria and environmental sensitivities however; the issue raised by complainents for bed criteria shall be decided by SEIAA.

Committee after deliberations, the submissions and presentation made by the PP were found to be satisfactory and acceptable hence the case was recommended for grant of Prior Environment Clearance for Common Bio-Medical Waste Treatment Facility at Khasra No.

– 356 Village - Rauda Chhapar, Tehsil & Dist. Shivpuri, M.P., on plot area: 4200 Sq.mt. (1.03 Acre) through 01 no. of Incinerator of capacity 200 kg/hr. (Dry), 01 no. Autoclave of capacity 1000 kg/Hr. , 01 no. Shredder of capacity 200 kg / hr. and ETP capacity- 7.5 KLD of Mrs. Pramila Sharma pro. M/s JK Medical Waste Management System under 7(da) for Common Biomedical Waste Treatment, Storage and Disposal Facilities, with following treatment capacity subject to the following special conditions and subject to any order passed by the Hon'ble Court/Tribunal:

I. **Statutory Compliance:**

i. The project proponent shall obtain Consent to Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State Pollution Control Board/Committee.
ii. Transportation and handling of Bio-medical Wastes shall be as per the Biomedical Wastes (Management and Handling) Rules, 2016 including the section 129 to 137 of Central Motor Vehicle Rules, 1989.
iii. Project shall fulfill all the provisions of hazardous Wastes (Management, handling and Transboundary Movement) Rules, 2016 including collection and transportation design etc and also guidelines for Common Hazardous Waste Incineration – 2005, issued by CPCB Guidelines of CPCB/MPPCB for Bio-medical Waste Common Hazardous Wastes incinerations shall be followed.
iv. Project shall fulfill hall obtain the necessary permission from the Central Ground Water Authority, in case of drawl of ground water/from the competent authority concerned in case of drawl of surface water required for the project.
v. All other statutory clearances such as the approvals for storage of diesel from Chief Controlled of Explosive, Fire Department Civil Aviation Department shall be obtained, as applicable by project proponent from the respective competent authorities.

II. **Air quality monitoring and preservation**

i. The project proponent shall install continuous emission monitoring system including Dioxin and furans to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment in Environment (Protection) Rules, 1986 and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these systems from time to time according to equipment supplier specification through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.

ii. Periodical air quality monitoring in and around the site including VOC, HC shall be carried out.
iii. Incineration plant shall be operated (combustion chambers) with temperature, retention time and turbulence, so as to achieve Total Organic Carbon (TOC) consent in the slag and bottom ashes less than 3% or their loss on ignition is less than 5% of the dry weight of the materials.
iv. Adequate air pollution control system should be provided with the incinerator to arrest the gaseous emission with stack of adequate height (Minimum 30 meters) to control particulate emission.
v. Appropriate Air Pollution Control (APC) system shall be provided for fugitive dust from all vulnerable sources, so as to comply prescribed standards. All necessary air pollution Control devises (quenching, venturi scrubber, mist eliminatory) should be provided for compliance of emission standards.
vi. Masking agents should be used for odour standards.

III. **<u>Water quality monitoring and preservation</u>**

i. The project proponent shall install effluent monitoring system with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules, 1986 through labs recognized under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
ii. Waste water generated from the facility shall be treated in the ETP of 7.5 KLD. The water quality of treated effluent shall meet the norms prescribed by State Pollution Control Board. Zero liquid discharge shall be maintained.
iii. Process effluent /any waste water should not be allowed to mix with storm water.
iv. Total fresh water use shall not exceed the proposed requirement (8.00 KLD) as provided in the project details. Prior permission from competent authority shall be obtained for use of fresh water.
v. Zero discharge treatment system shall be provided. No soil contamination is anticipated from the proposed project as the land fill facility will have liner system to arrest any contamination.
vi. Web based camera shall be installed to monitor the ZLD condition.
vii. The leachate, if any, from the facility shall be collected and treated to meet the prescribed standards before disposal.
viii. A drain along the boundary wall shall be made, and shall be connected to settling tank to protect the flow of contaminant towards nearby land
ix. Run-off from upstream areas will be diverted to settling tank (5mLX5mWX5D) within the premises through drains.
x. The run-off generation will be minimized by diverting run-off from areas external to the plant to storm water discharge points.

IV. **Noise monitoring and prevention**

i. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time.
ii. The sources of noise generation will Incinerator, pumps, Compressors, etc. All machinery has been manufactured as per OSHA/MoEF guidelines. Earplugs have been provided to workers working in noise prone area.
iii. Ambient noise levels is in accordance with MoEF notification dated 14-02-2000 i.e. noise levels will be < 75 dB (A) during daytime and < 70 dB (A) during night time. No additional increase is expected.

V. **Energy Conservation measures**

i. Provide solar power generation roof tops of building, for solar light system for all common areas, street lights, parking around project area and maintain the same regularly.
ii. Provide LED lights in their offices and residential areas.
iii. Power will be required about 30 KVA which have been sourced through Madhya Pradesh Vidyut Vitaran Company Ltd.

VI. **Waste Management**

i. Incinerated ash and other shredded or Autoclaved waste shall be disposed at approved TSDF and MoU made in this regard shall be submitted to the SPCB prior to the Commencement.
ii. The solid wastes shall be segregated as per the norms of the solid Waste Management Rules, 2016.
iii. Any wastes from construction and demolition activities related thereto shall be managed so as to strictly conform to the Construction and Demolition Rules, 2016.
iv. No landfill site is allowed within the CBWTF site.
v. Regular monitoring and analysis of village Pond flowing nearby and nearby pond shall be carried out
vi. RCC dyke/platform should be constructed for storage of chemicals and oil drums to avoid spillage.
vii. The project proponent shall not store the Hazardous Wastes more than the quantity that has been permitted by the CPCB/SPCB and disposed them as per condition of the authorization.

VII. **Green Belt**

i. Green belt shall be developed in area as provided in project details, with native tree green belt shall be developed in an area equal to 33.80% of the plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. The greenbelt shall inter alia cover the entire periphery of the plant.

ii. Planation of 405 trees in the 33.8% (1421.17 sq.mt.) of project area located at Kharsa No 356. Additionally, plantation of 676 trees shall be carried out in adjoining land measuring 2600 sq. mt., at khasra no 355 (Owner Mrs. Pramila Sharma), In village Rauda Chhaper plantation of about 840 plants will be done in consultation with GramPanchayat. Thus 1921 plants will be planted as follows:

Area	No. of trees	Tree species	Cost per plant in RS	Total cost (INR)
Outer Landscaping area=500.91 sqm	Trees =130	Neem *(Azadirachta indica)* Kachnar *(Bauhenia racemose)* Karanj *(pongamia pinnata)* Khamer *(Gmelina arborea)*	200	26,000
Inner Landscaping area=380.43 sqm	Grass= 185 sqm. Shrubs= 100	Dub Grass *(Cynodon Dactylon)* and Zoysia *japonica* China Rose, Peeli Kaner, bougainvillea	5000 for grass, 100	15,000
Open land area=540.36 sqm	Trees =75	Neem *(Azadirachta indica)* Kachnar *(Bauhenia racemose)* Karanj *(pongamia pinnata)* Khamer *(Gmelina arborea)*	200	15,000
Roadside plantation on both side (300 m length)	200 trees at 3m distance.	False asoka *(Polyalthia longifolia)*	200	40,000
Plantation in Khasra no.355				
Area	No. of trees	Tree species	Cost per plant	Total cost (INR)
Landscaping area=2600 sqm	Trees =676	Sitaphal *(Annona Squamosal)* Aam *(Mangiferaa Indica)* Amrood *(Psidium guajava)* Jamun *(Syzygium cumini)*	200	1,35,200
	1081 trees +100 shrubs			
Plantaion out side project area in Village Rauda Chhapar along approach road and other areas in consultation with Gram Panchayat.				
Roadside & other area=780 sqm	Trees =840	Sitaphal *(Annona Squamosal)* Aam *(Mangiferaa Indica)* Amrood *(Psidium guajava)* Jamun *(Syzygium cumini)*	200	1,68,000
	1921 trees + 100 Shrubs		**Total**	**3,99,200 Say 4,00,000**

IX. **EMP & Corporate Environment Responsibility**

i. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard

operating procedures to have proper checks and balances and to during into focus any infringements/ deviation/ violation of the environmental/ forest/ wildlife norms/condition. The company shall have defined system of reporting infringements/ deviation/ violation of the environmental/ forest/ wildlife norms/ conditions and / or shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF & CC as a part of six monthly reports.

ii. In the EMP PP have proposed Rs. 50.50 lakh as capital cost, 9.0 lakh/year for recurring expenses and Rs. 12.00 lakhs for occupation health & safety.

iii. PP shall provide budget of Rs 04.50 Lacs under CER budget and shall be incurred as per the proposal given below:

S.No.	PROPOSED CER ACTIVITIES	Budget Rs in Lakh
1.	Adoption of an Animal and look after in association with Local Forest Authority.	1.0
2.	Regular Medical Health Checkup Camps in nearby Village	1.5
3.	Awareness Camp on best Agriculture practices in nearby Villages	0.5
4.	Restoration/ Protection of Pond in the nearby Village	0.5
5.	Funding under "Aganwadi Poshan Aahar Yojana" in nearby Village.	1.0
	Total CER Budget (Capital + Recurring expenses for 3 years)	4.50 lakh

iv. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senor Executive, who will directly to the head of the organization.

v. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Officer along with the six monthly Compliance Report.

vi. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

X. **<u>Miscellaneous</u>**

i. The project authorities must strictly adhere to the stipulation made by the State Pollution Control Board and the State Government.

ii. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.

iii. No further expansion of modification in the plant shall be carried out within prior approval of the Ministry of Environment Forests and Climate Change (MoEF & CC).

iv. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India/ High Courts/NGT any other Court of Law relating to the subject matter.

16. Case No 7322/2020 Smt. Manju Singh W/o Shri Narendra Bahadur Singh, R/o Bamhangawan, Tehsil - Raghurajnagar, Dist. Satna Prior Environment Clearance for Laterite Quarry in an area of 5.70 ha. (18530 cum per annum) (Khasra No. 2P), Village - Bihra, Tehsil - Kotar, Dist. Satna (MP) EIA Con.

This is case of Laterite Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 2P), Village - Bihra, Tehsil - Kotar, Dist. Satna (MP) 5.70 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक कमांक 448वीं दिनांक 23/07/2020 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी ।

प्रकरण समिति की 563वीं बैठक दिनांक 04/04/22 प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार ऑन लाईन/ऑफ लाईन प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

समिति की 564वीं बैठक दिनांक 15/04/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन–लाईन और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री आंनद गुप्ता उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि लेटराईट खदान होने के कारण उत्खनन् के दौरान ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा ऑन लाईन अपलोड माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रश्नाधीन खदान स्थल के दक्षिण–पश्चिम दिशा से 120 मीटर की दूरी पर पक्का रोड़ तथा

दक्षिण–पश्चिम एवं दक्षिण दिशा की तरफ लगभग 110 मीटर की दूरी पर मानव बसाहट है । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह पाया कि खदान के मध्य भाग से कच्चा रोड़ निकल रहा है अतः कच्चे रोड़ के दोनों ओर 20–20 मीटर का सेट–बैक छोड़ा जाना चाहिए तथा परियोजना प्रस्तावक को पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए । प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने यह भी पाया कि खदान के पश्चिमी भाग में कुछ पेड़ (35) लगे हैं । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इनको काटा जाना प्रस्तावित नहीं है, यह क्षेत्र नॉन माईनिंग जोन में छोड़ा जायेगा । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान सामाजिक कल्याण के कार्य (जैसेः मंदिर हेतु सीढ़ी का निर्माण, तहसील भवन/विद्यालय की मरम्मत, गौशाला का विकास कार्य, पेयजल की व्यवस्था एवं सोलर लाईट) किये जाने हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया है । प्रस्तुतीकरण के पश्चात् परियोजना प्रस्तावक को निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए :–

- ✓ खदान के पश्चिमी भाग में कुछ पेड़ (35) लगे है, अतः ट्री इंवेंट्री (मोटाई, गोलाई, ऊँचाई एवं प्रजाति) ।
- ✓ पुननरीक्षित सरफेस प्लॉन, जिसमें नॉन माईनिंग जोन दिखाते हुए ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा चाही गई जानकारी ऑनलाईन प्रस्तुत की गई जिस कारण उसे एजेण्डा में सूचीबद्ध किया गया ।

समिति की 566वीं बैठक दिनांक 23/04/22 को परियोजना प्रस्तावक ऑन–लाईन और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री आंनद गुप्ता उपस्थित हुए तथा क्वेरी प्रस्तुतीकरण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया जो संतोषजनक पाया गया । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के पश्चिमी भाग में पेड़ 35 लगे है जिनमें से कोई भी पेड़ काटा नहीं जायेगा तथा जिस भाग में पेड़ लगे है, उसे नॉन माईनिंग जोन छोड़ा गया है । इसी प्रकार खदान के पूर्वी भाग की ओर जहॉ से कच्चा रोड़ निकल रहा है के दोनों तरफ 20–20 मीटर का सेट–बैक छोड़ा गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पुनरीक्षित सरफेस मेप प्रस्तुत किया गया है जिसके अनुसार 5.70 हे. एरिया में से नॉन माइनिंग जोन छोड़ने के बाद खनन् हेतु 4.06 हेक्टेयर क्षेत्र उपलब्ध है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता लेटराइट – 18,530 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 36.59 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.57 प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.16 लाख :–

क्र.सं	गतिविधियां	प्रदेय	आवर्ती व्यय रु.
1.	बुनियादी ढांचे का विकास		
a.	ग्राम बिहरा में विद्यालय की मरम्मत/नवीनीकरण।	1विद्यालय	31,000.00

b.	गौशाला के विकास एवं रखरखाव के लिए वित्तीय सहायता।		50,000.00
c.	प्रस्तावक आंगनबाड़ी केन्द्र बिहरा को बच्चों के कल्याण कार्यक्रम "पोषण आहार" के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगा।		50,000.00
d.	गांव में सोलर लाइट की स्थापना	लाइट सोलर 1	25,000.00
2.	**स्वास्थ्य**		
a.	ग्राम बिहरा में कोविड महामारी में आवश्यक एहतियात के लिए ग्रामीणों को सैनिटाइजेशन किट (हैंड सैनिटाइजर, हैंड ग्लव्स एवं मास्क) का वितरण एवं प्रशिक्षण। (100 व्यक्ति ; @ 300/सेट)		30,000.00
c.	ग्राम बिहरा में विद्यालय में शौचालय का निर्माण।		30,000.00
		कुल	**2,16,000.00**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षो का वृक्षारोपण :

प्रस्तावित वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियां	पौधों की संख्या
बैरियर जोन	सिरिस, बरगद, लसोड़ा, अंजन, शीषम, तिनसा, कचनार, नीम, कुसुम, बारेगा, गधापलाष, कुम्भी तथा अन्य स्थानीय प्रजातिया	**2000**
	जंगलजलेबी, चिरोल, खमेर, करंज, नीम तथा अन्य स्थानीय प्रजातिया।	**360**
परिवहन मार्ग (पेड़ो की न्यूनतम् ऊँचाई 01 मीटर)	सिरिस, बरगद, लसोड़ा, अंजन, शीषम, तिनसा, कचनार, नीम, कुसुम, बारेगा, गधापलाष, कुम्भी तथा अन्य स्थानीय प्रजातिया।	**1000**
	जंगलजलेबी, चिरोल, खमेर, करंज, नीम, हरश्रृंगार तथा अन्य स्थानीय प्रजातिया।	**440**
खनन क्षेत्र के आसपा के गांवों (बिहरा, निम्हा, देवरा) में ग्रामवासियो को पौधे वितरित किए जाएंगे	नीम, महुआ, नींबू, कटहल, गुग्गल तथा अन्य स्थानीय प्रजातिया।	**950**
विद्यालय के पास वृक्षारोपण	करंज, अशोक, नीम, कुसुम, सिशम, क़दम कचनार, पाकड़, करंज तथा अन्य स्थानीय प्रजातिया।	**50**
	कुल	**4800**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण के पत्र क्रमांक 497 दिनांक 20/05/22 के द्वारा ''प्रस्तावित खदान के निकटतम् 120 मीटर पर पक्का रोड़, 110 मीटर की दूरी मानव बसाहट, खदान के मध्य भाग से होकर कच्चा रोड़ निकल रहा है, साथ ही खदान के पश्चिमी भाग में 35 पेड़ लगे होना परिलक्षित है, अतः प्राधिकारण द्वारा उपरोक्त पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत विस्तृत चर्चा एवं विचार–विमर्श उपरांत उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति के आवेदन को निरस्त करने का निर्णय लिया गया''।

परियोजना प्रस्तावक ने पत्र दिनांक 28/05/22 के माध्यम से पुनः परीक्षण हेतु अनुरोध किया गया, जिसे सिया की 731वीं बैठक दिनांक 08/06/22 में रखा गया और सिया की 722वीं बैठक दिनांक 07/05/22 को प्रकरण में पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत विस्तृत चर्चा एवं विचार–विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु परिवेश पोर्टल पर नवीन आवेदन किया जाये, की सूचना सिया के पत्र क्रमांक 823 दिनांक 23/06/22 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक को भी दी गई है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 14/11/22 को नवीन आवेदन (पुराने प्रकरण क्रमांक–7322/2020 से ही) प्रस्तुत किया, जिसे सिया द्वारा दिनांक 22/11/22 को परीक्षण हेतु सेक को भेजा गया ।

प्रकरण पूर्व में समिति की 611वीं बैठक दिनांक 14/12/22 प्रकरण को रखा गया परियोजना प्रस्तावक सुश्री मंजु सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री आंनद गुप्ता, (ऑनलाईन) मेसर्स ग्लोबस इंवायरमेंटल इंजीनियरिंग सर्विसेस, लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि पूर्व में समिति की 566वीं बैठक दिनांक 23/04/22 को जब यह प्रकरण प्रस्तुत हुआ था उसके पश्चात् 02 नई समस्याऐ आवंटित खनन् क्षेत्र के अंदर परिलक्षित हो रही है जिसमें पश्चिम दिशा में एक गोडाऊन का निर्माण तथा लीज के माध्य भाग में एक शेड/पक्के निर्माण की गतिविधि । इसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह निर्माण किनके द्वारा किया जा रहा है उनको ज्ञात नही क्योकि अभी उनको आवंटित खनन् क्षेत्र में प्रवेश का अधिकार नही मिला है । अतः समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक पश्चिम दिशा में एक गोडाऊन तथा लीज के माध्य भाग में एक शेड/पक्के निर्माण की गतिविधि किसके द्वारा की जा रही है तथा उसकी सटीक जानकारी मय फोटोग्राफ के सक्षम प्राधिकारी के प्रमाण–पत्र एवं पुनरीक्षित योजना सहित 15 दिवस में प्रस्तुत की जाये ताकि प्रकरण पर निर्णय लिया जा सके।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति के समक्ष आज दिनांक 08/04/23 को रखा गया ।

समिति ने परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन किया एवं पाया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के पश्चिमी भाग में एक गौशाला का निर्माण हो गया है, जिसके फोटो परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत किए गए है । इसी प्रकार आवंटित खनन् क्षेत्र के बीच में पोल्ट्रीफार्म तथा हटमेंट बना लिए गए है जिसके संबंध में परियोजना प्रस्तावक का कथन है कि यह अवैध निर्माण है तथा उनको हटा दिया जायेगा। अतः समिति का मत है कि चूंकि आवंटित भूमि शासकीय है अतः परियोजना प्रस्तावक जिला प्रशासन की सहमति इस बारे में प्राप्त करे की वर्तमान आवंटित खनन् क्षेत्र के अंदर स्थित निर्माण (गौशाला, पोल्ट्रीफार्म तथा हटमेंट) अवैध है एवं जिला प्रशासन इनको वहां से हटाने पर सहमत है ।

17. Case No 9518/2022 Shri Rikky Jain, Owner, R/o Katra Ward, Betul, Behind Hanuman Mandir, Bina District-Sagar (MP)-470113, Prior Environment Clearance for Barmadhi Crusher Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (4998 Cum per annum) (Khasra No. 164/1/1, 164/2/2, 165/2/2), Village–Barmadhi, Tehsil-Tyonda, District-Vidisha (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 164/1/1, 164/2/2, 165/2/2), Village–Barmadhi, Tehsil-Tyonda, District-Vidisha (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण पूर्व में समिति की 616वीं बैठक दिनांक 02/01/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिमसें परियोजना प्रस्तावक श्री रिक्की जैन (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र कमांक 1665 दिनांक 07/07/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नही होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार आवंटित खदान के पश्चिम एवं उत्तर दिशा में क्रमशः 355 मीटर तथा 450 मीटर पर रोड़ है तथा दक्षिण पश्चिम दिशा में 375 मीटर पर आबादी एवं एक मंदिर है । आवंटित खनन् क्षेत्र बीच से खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह बहुत पुराना पिट है जो पूर्व की गूगल इमेज अनुसार अप्रैल 2012 से दिखता है जबकि हमको खदान 07/12/22 को आवांटित हुई है यह पिट (7000 मीटर x 01 मीटर) हमने अनुमोदित खनन् योजना में भी दिखाया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–125 के सरल क्रमांक–134 पर दर्ज है।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के समय परिवेश पोर्टल पर अपलोड गूगल इमेज तथा रिर्कोडेड फॉरेस्ट ऐरिया मेप के अनुसार वन क्षेत्र उत्तर–पश्चिम दिशा में लगभग 155 मीटर की दूरी पर आ रहा है जबकि प्रकरण के साथ अपलोडिड एकल प्रमाण पत्र (कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1655 दिनांक 07/07/2022) अनुसार 250 मीटर की परिधि में कोई वन क्षेत्र नही है तथा संशोधित सैद्यातिक मंजूरी पत्र क्रमांक 2951 दिनांक 07/12/22 में उल्लेखित है कि वन संरक्षक विदिशा के पत्र क्रमांक 1245 दिनांक 20/10/18 द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि आवेदित क्षेत्र से वन क्षेत्र 260 मीटर की दूरी पर स्थित है तथा उत्खनि पट्टा स्वीकृत किये जाने पर कोई आपत्ती नही है। उपरोक्त स्थिति में समिति की अनुशांसा है कि चूंकि परिवेश पर अपलोडेड गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र वन क्षेत्र से लगभग लगभग 155 मीटर की दूरी पर आ रहा है अतः संबंधित वन मण्डलाधिकारी से इस स्थिति को स्पष्ट करने बावत् पत्र लिखा जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति द्वारा वांछित उपरोक्त जानकारी के संदर्भ में वन मण्डलाधिकारी, विदिशा द्वारा जारी पत्र क्रमांक 480 दिनांक 13/03/2022 ऑनलाईन अपलोड किया गया है । उक्त जानकारी को समिति के समक्ष आज दिनांक 08/04/2023 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री रिक्की जैन (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि वन मण्डलाधिकारी, विदिशा ने पत्र क्रमांक 480 दिनांक 13/03/2022 के द्वारा सूचित किया है कि आवेदिन क्षेत्र वन भूमि नहीं है एवं उक्त क्षेत्र से वन भूमि की नजदीकी दूरी 260 मीटर पाई गई है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 4,998 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.20 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 1.87. लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.40 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	**राशि (रु. में)**
ग्राम बरमढ़ी हाई स्कूल में स्पोर्ट्स किट (वॉली बॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट किट)	40,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	**पौधों की प्रजातियाँ**	**मात्रा संख्या**
बैरियर जोन (प्रथम वर्ष में)	नीम,सिस्सू, करंज,चिरोल,सीताफल एवं अन्य प्रजातियाँ।	700
परिवहन मार्ग (पेड़ो की न्यूनतम् ऊँचाई 01 मीटर)	नीम,करंज,चिरोल।	500
	Total	1200

18. Case No 9498/2022 Shri Amit Raghuwanshi, Owner, R/o Village-Nateran, Tehsil-Nateran, District-Vidisha (MP)-464258 Prior Environment Clearance for Nagtara Murrum Quarry in an area of 1.00 ha. (10000 Cum per annum) (Khasra No. 297), Village – Nagtara, Tehsil - Nateran, Dist. Vidisha (MP)

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 297), Village – Nagtara, Tehsil - Nateran, Dist. Vidisha (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण समिति की पूर्व बैठक 618वीं दिनांक 11/01/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अमित रघुवंशी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1649 दिनांक 07/07/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नही होने की जानकारी दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार आवंटित खदान के दक्षिण दिशा में 45 मीटर पर कच्चा रास्ता, उत्तर दिशा में 360 मीटर पर अद्योसंरचना का निर्माण तथा पूर्व दिशा में 600 मीटर पर नहर है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र पूर्व, पश्चिम एवं दक्षिण दिशा में खनन् की गतिविधियां संचालित होना दिख रही है जबकि एकल प्रमाण पत्र में 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत न होना दर्शाया गया है। अतः इस संदर्भ में समिति ने निर्णय लिया कि संबंधित खनिज अधिकारी को स्थिति स्पष्ट करने बावत् पत्र लिखा जाये ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा समिति द्वारा वांछित उपरोक्त जानकारी के संदर्भ में प्रभारी खनिज अधिकारी, विदिशा ने पत्र क्रमांक 415 दिनांक 10/02/2022 ऑनलाईन अपलोड किया गया है । उक्त जानकारी को समिति के समक्ष आज दिनांक 08/04/2023 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अमित रघुवंशी और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अंकुर शर्मा, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा (उ.प्र.) उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रभारी खनिज अधिकारी, विदिशा ने पत्र क्रमांक 415 दिनांक 10/02/2022 के द्वारा यह सूचित किया है कि उत्खनिपट्टा क्षेत्र में पूर्व में पंचायत द्वारा शासकीय कार्य हेतु खनिज का परिवहन अनुज्ञा प्राप्त कर उपयोग किया जाना पाया गया एवं शासकीय ठेकेदारों को पूर्व में सड़क निर्माण कार्य हेतु परिवहन अनुमतियॉ प्रदान की गई थी । वर्तमान में मौके पर किसी प्रकार का कोई उत्खनन्/परिवहन कार्य नहीं पाया गया तथा उक्त क्षेत्र एवं आसपास 500 मीटर की परिधि में कोई उत्खनन् / अस्थाई अनुज्ञा स्वीकृत होकर संचालित नहीं है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं

स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम – 10,000 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 07.26 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 1.44 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.25 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.इ.आर. मद से प्रस्तावित गतिविधि	राशि (रु. में)
माध्यमिक शाला नगतारा कैंपस में स्टील गेट	25,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1200 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

वृक्षारोपण हेतु नियत स्थान	पौधों की प्रजातियाँ	मात्रा संख्या
बैरियर जोन	नीम,सिस्सू, करंज, चिरोल, सीताफल एवं अन्य प्रजातियाँI	600
परिवहन मार्ग (पेड़ो की न्यूनतम् ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, करंज, चिरोल,खमेर I	600
	Total	1200

19.Case No 9567/2022 Shri Sachin Mewada, Owner, R/o Village & Post-Khajuri Sadak, District-Bhopal (MP)-462022 Prior Environment Clearance for Mugaliya Chhap Murrum Quarry in an area of 1.623 ha. (10,000 cum per annum) (Khasra No. 544/2 Govt. Land), Village-Mugaliya Chaap, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP)

This is case of Murrum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 544/2), Village-Mugaliya Chaap, Tehsil-Huzur, District-Bhopal (MP) 1.623 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण समिति की पूर्व बैठक 625वीं बैठक दिनांक 01/03/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिमसें परियोजना प्रस्तावक श्री सचिन मेवाडा (ऑनलाईन) और और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रहीस पटेल, मेसर्स एफ.ई.सी.सी.एम., भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 220 दिनांक 30/06/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नही दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परिवेश पोर्टल पर पार्ट–ए एवं पार्ट–बी Form-1 (Part-A): & (Part-B): Project Information for Scoping (for Category - A/B1) / Appraisal (for Category - B2) सरल नं.–10 एनक्लोजर पर No data found उल्लेखित है। अतः दस्तावेजों का परीक्षण संभव नहीं है । प्रस्तुतीकरण के दौरान भी पाया गया कि इस प्रकरण से संबंधित ऑनलाईन अपलोडिड कई दस्तावेज (जैसे एकल प्रमाण–पत्र, पी.एफ.आर., अनुमोदित खनन् योजना इत्यादि) नही खुल रहे है, अतः समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को ए.डी.एस. जारी किया जाये ताकि वे सभी संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत कर सके ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त जानकारियॉ परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति समक्ष आज दिनांक 08/04/23 को रखा गया । समिति के समक्ष परियोजना प्रस्तावक श्री सचिन मेवाडा (ऑनलाईन) और और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री रहीस पटेल, मेसर्स एफ.ई.सी.सी.एम., भोपाल उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 3123 दिनांक 17/11/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिसे मिलाकर कुल रकबा 02.623 हे.होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र के पूर्व दिशा में 70 मीटर तथा पश्चिम दिशा में 60 मीटर पर कच्चा रोड़, उत्तर–पूर्व दिशा में 135 मीटर तथा पूर्व दिशा में 160 मीटर मकान / फार्म हाउस है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रकरण मुरूम खनन् का है, जिसमें ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में इस खदान के तालिका क्रमांक–13 के पेज क्रमांक–47 पर दर्ज है किंतु अक्षांश–देशांश नहीं दिए गए है, अतः अनुमोदित खनन् योजना में दिये गये अक्षांश–देशांश के आधार पर प्रकरण का एप्राईजल किया गया ।

आंवटित खनन् क्षेत्र में 02 पिट्स गूगल इमेज अनुसार अक्टूबर, 2017 से खुदे हुए है । इसी प्रकार आवंटित खनन् क्षेत्र के आसपास भी 02 अन्य जगहों पर माईनिंग पिट्स खुदे हुए है जबकि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 3123 दिनांक 17/11/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, अतः उपरोक्त के संदर्भ में संबंधित खनिज अधिकारी स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाना उचित होगा ।

20. Case No 7947/2020 Shri Naval Singh Baghel S/o Shri Lalta Prasad Baghel, Village - Hiwala, Post - Mandla, Tehsil - Khirkiya, Dist. Harda, MP – 461441 Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.60 ha. (9938 cum per annum) (Khasra No. 3/1/KH), Village - Bamhangaon, Tehsil - Khirkiya, Dist. Harda (MP).EIA Consultant: M/s. Aseries Envirotech India Pvt. Ltd. Noida U.P.

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 3/1/KH), Village - Bamhangaon, Tehsil - Khirkiya, Dist. Harda (MP) 1.60 ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

PP has submitted a copy of approved Mining Plan, DSR report, information in the lease's within 500 meters radius around the site and other requisite information in the prescribed format duly verified in the Collector Office letter no. 8614 dated: 14/5/2020 has reported that there are 01 more mines operating or proposed within 500 meters around the said mine with total area of 6.025 ha., including this mine.

Earlier this case was scheduled for presentation and discussion in 469th SEAC dated 17/12/2020 wherein ToR was recommended. PP has submitted the EIA report vide letter dated 6/7/21 which was forwarded through SEIAA vide letter no. 1390 dated 12/07/21 and the same was scheduled in the agenda. PP and their consultant presented EIA in 504th SEAC meeting dated 23/07/2021 before the committee and recommendation was sent to SEIAA. सिया की 682वीं बैठक दिनांक 26/08/21 को सेक की 504वीं बैठक दिनांक 23/07/21 की अनुशंसा को मान्य करते हुए पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति आवेदन (ई.आई.ए.) का निरस्त किया गया था, जिसकी सूचना सिया के पत्र क्रमांक 1885 दिनांक 14/09/21 द्वारा परियोजना प्रस्तावक को दी गई थी ।

परियोजना प्रस्तावक ने पत्र दिनांक 30/05/22 के माध्यम से मान्नीय ए.जी.टी. के आदेश के परिपालन में नो ब्लास्टिंग प्रक्रिया के अंतर्गत संशोधित ई.आई.ए. रिपोर्ट मय संशोधित खनन् योजना के साथ पर्यावरण स्वीकृति हेतु आवेदन सिया के समक्ष किया गया था । सिया के पत्र क्रमांक 819 दिनांक 22/06/22 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक के उपरोक्तानसार मान्नीय अधिकरण के आदेश के परिपालन में आवेदन को मान्य करते हुए प्रकरण (7947/2020) पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु नवीन ई.आई.ए. एवं पुनरीक्षित खनन् योजना (सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित) का परिवेश पोर्टल पर नवीन आवेदन करें तथा उक्त आवेदन को पुनः परीक्षण हेतु सेक को प्रेषित किया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक ने उपरोक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 15/11/22 को पुनः ऑनालाईन आवेदन प्रस्तुत किया, जो सिया द्वारा दिनांक 22/11/22 को स्वीकार कर सेक को परीक्षण हेतु भेजा गया है।

635वीं राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की बैठक
दिनांक 08 अप्रैल 2023

प्रकरण सेक की पूर्व की 610वीं बैठक दिनांक 08/12/22 को प्रकरण समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें समिति ने पाया कि सिया ने पत्र क्रमांक 819 दिनांक 22/06/22 के माध्यम से परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया है कि प्रकरण क्रमांक 7947/2020 पर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु नवीन ई.आई.ए. एवं पुनरीक्षित खनन् योजना (सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित) का परिवेश पोर्टल पर नवीन आवेदन करें तथा उक्त आवेदन को पुनः परीक्षण हेतु सेक को प्रेषित किया जाये'' । उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा नवीन आवेदन ऑनालाईन आवेदन दिनांक 15/11/22 सिया द्वारा दिनांक 22/11/22 को स्वीकार कर सेक को परीक्षण हेतु भेजा गया है जो पुराने नम्बर से (7947/2020) ही स्वीकार होकर प्राप्त हुआ है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर आवंटित खनन् क्षेत्र के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में 200 मीटर पर आबादी, पश्चिम क्षेत्र में भी 70 मीटर पर आबादी है, दक्षिण पूर्व दिशा में 130 मीटर पर पक्का रोड़ तथा पूर्व दिशा में 10 मीटर पर कच्चा रोड़ है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा पुनरीक्षित अपलोडेड ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं खनन् योजना में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं की गई है तथा खनन् हेतु जैक हैमर / रॉक ब्रेकर का उपयोग किया जायेगा । इसी प्रकार पश्चिम क्षेत्र में भी 70 मीटर पर आबादी के कारण 30 मीटर का सेटबेक तथा पूर्व दिशा में 10 मीटर पर कच्चा रोड़ के कारण 7.5 मीटर के बेरियर जोन मे सघन वृक्षारोपण किया जायेगा । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के पश्चिम दिशा में 40 मीटर की दूरी पर एक मकान है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह उनका स्वंय का मकान है जो खनन् दौरान मजदूरो के आराम एवं साईट ऑफिस के रूप में उपयोग किया जायेगा जिस बाब्त उन्होने ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत बम्हनगांव ने पत्र दिनांक 21/5/22 के माध्यम से प्रमाणित किया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि सेटबेक छोड़ने के बाद करीब 1.00 हे. क्षेत्र खनन् हेतु उपलब्ध होगा जो 9938 घन मीटर प्रति वर्ष के उत्पादन हेतु पर्याप्त है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा घाना बाबा मंदिर में टीन सेट को निर्माण तथा स्कूल में स्पोर्टस किट् का वितरण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा सी.ई.आर. में शामिल किया गया। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जायेगा तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा । समिति ने चर्चा कर अनुशंसा की कि खनन् क्षेत्र के बाहर स्थित नोटिस बोर्ड पर यह उल्लेखित किया जाये कि खनन् कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा तथा ब्लास्टिंग का उपयोग नही किया जावेगा । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 9,938 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 09.49 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 04.82 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.83 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. **मद से प्रस्तावित गतिविधि**	**राशि (रु. में)**
धाना बाबा के चबूतरे पर टीन की छांव तथा 04 पंखो की भी व्यवस्था कराई जायेगी।	45,000 / —
ग्राम बम्हानगावं के प्राथमिक विद्यालय में 05 पंखे का वितरण किया जायेगा।	8,000 / —
ग्राम बम्हानगावं के प्राथमिक विद्यालय के 85 बच्चों में पीटी शूज और मोजे का वितरण किया जायेगा।	30,000 / —
योग	83,000 / —

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	सिस्सू, शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरौल, सीताफल, करंज, खमैर, , अन्य उपलब्ध स्थानीय प्रजातियां।	500
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, चिरौल, करंज, गुलमोहर महुआ इत्यादि। ।	250
3	ग्राम बम्हानगावं के प्राथमिक विद्यालय	कदम्ब, अमलतास, अशोक, नीम, कचनार गुलमोहर इत्यादि।	10
4	बम्हानगावं ग्रामवासीयो में वितरण	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद, मूनगा, इत्यादि।	1240
		कुल	**2000**

सिया की 763वीं बैठक दिनांक 28/12/2022 को प्रस्तावित खदान के समीपस्थ पूर्व, पश्चिम दिशा में मानव बसाहट होने तथा खदान के पूर्व दिशा में 10 मीटर पर आमजन के आवामन हेतु कच्ची सड़क परिलक्षित है । अतः खनन् गतिविधियों के कारण मानव बसाहट क्षेत्र के पर्यावरण प्रदूषण की दृष्टि से प्रतिकूल प्रभावों को देखते हुए पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किया जाना संभव नहीं है । उपरोक्त निर्णय के परिप्रक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई—मेल दिनांक 31/12/2022 के माध्यम से प्रकरण पर पुनर्विचार किये जाने एवं प्रस्तुतीकरण का अवसर किये जाने का अनुरोध किया गया है । सिया द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार—विमर्श उपरांत प्राधिकारी की 763वीं बैठक दिनांक 28/12/22 में लिए गए निर्णय के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर पुनर्विचार कर प्रकरण को रि—ओपन करते हुए परियेाजना प्रस्तावक/ पर्यावरण सलाहकार द्वार प्रस्तुत तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सेक को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया गया है ।

प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 08/04/23 को रखा गया । समिति ने पाया कि सेक की 610वीं बैठक दिनांक 08/12/22 में सभी पर्यावरणीय संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का परीक्षण किया गया था, जिसके कार्यवाही विवरण में उल्लेखित है :–

''आवंटित खनन् क्षेत्र के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में 200 मीटर पर आबादी, पश्चिम क्षेत्र में भी 70 मीटर पर आबादी है, दक्षिण पूर्व दिशा में 130 मीटर पर पक्का रोड़ तथा पूर्व दिशा में 10 मीटर पर कच्चा रोड़ है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा पुनरीक्षित अपलोडेड ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं खनन् योजना में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं की गई है तथा खनन् हेतु जैक हैमर / रॉक ब्रेकर का उपयोग किया जायेगा । इसी प्रकार पश्चिम क्षेत्र में भी 70 मीटर पर आबादी के कारण 30 मीटर का सेटबेक तथा पूर्व दिशा में 10 मीटर पर कच्चा रोड़ के कारण 7.5 मीटर के बेरियर जोन मे सघन वृक्षारोपण किया जायेगा । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के पश्चिम दिशा में 40 मीटर की दूरी पर एक मकान है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह उनका स्वंय का मकान है जो खनन् दौरान मजदूरो के आराम एवं साईट ऑफिस के रूप में उपयोग किया जायेगा जिस बाब्त उन्होने ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत बम्हनगांव ने पत्र दिनांक 21/5/22 के माध्यम से प्रमाणित किया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि सेटबेक छोड़ने के बाद करीब 1.00 हे. क्षेत्र खनन् हेतु उपलब्ध होगा जो 9938 घन मीटर प्रति वर्ष के उत्पादन हेतु पर्याप्त है'' ।

समिति ने पाया कि सेक की 610वीं बैठक दिनांक 08/12/22 में उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर ही समिति ने पर्यावरणीय अभिस्वीकृति द्वारा अनुशंसा की गई थी, अतः समिति द्वारा बैठक कमांक 610 दिनांक 08/12/22 में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

21. <u>Case No 8777/2021 Shri Vishwajeet Singh S/o Shri Mahipal Singh Baghel, M.G. Road, Sonkutchh, Dist. Dewas, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 3.75 ha. (50009 Cum per annum) (Khasra No. 762), Village - Arniya Jagir, Tehsil - Sonkatch, Dist. Dewas (MP).</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 762), Village - Arniya Jagir, Tehsil - Sonkatch, Dist. Dewas (MP) 3.75 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक कमांक 528वीं दिनांक 23/11/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण सेक की पूर्व 608वीं बैठक दिनांक 06/12/22 को परियोजना प्रस्तावक श्री विश्वजीत सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राहुल यादव, मेसर्स अमलतास इंवायरो

इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरूग्राम हरियाणा उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा इस प्रकरण में पूर्व उनके द्वारा पर्यावरणीय सलाहकार मेसर्स ग्लोबल मैनेजमेंट एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंटरनेशनल, जयपुर को अधिकृत किया गया था, जिनकी नेबिट एक्रीडिएशन सर्टिफिकेट की वैधता दिनांक 07/11/22 को समाप्त हो चुकी थी और मेरे प्रोजेक्ट में बिलंब न हो, इस दृष्टिकोण से मेरे द्वारा मेसर्स ग्लोबल मैनेजमेंट एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंटरनेशनल, जयपुर के स्थान पर मेसर्स अमलतास इंवायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरूग्राम हरियाणा से अनुबंध किया गया है, जिसकी सूचना सिया एवं सेक को दिनांक 30/11/22 को ई–मेल कर दिया गया है, जो प्रस्तुतीकरण में दिया गया है ।

प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि खदान पहाड़ी क्षेत्र में आवंटित है । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि ई.आई.ए. के साथ खदान के को–आर्डिनेट के साथ जो गूगल इमेज अपलोड की गई है, वह टॉर के समय प्रस्तुत गूगल इमेज से भिन्न है, क्योंकि टॉर के समय जो इमेज अपलोड की गई थी उसमें पूर्व एवं उत्तर दिशा में स्थित रोड़ लगभग 24–25 मीटर की दूरी पर थी जबकि ई.आई.ए. के साथ अपलोड इमेज में यह रोड़ अब खनन् क्षेत्र के अंदर आ रही है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नये परिवेश पोर्टल पर कोआरडिनेट अपलोड करते समय पूर्व दिशा में एक कोआरडिनेट गलत अपलोड हो गया था जिस कारण गूगल इमेज अलग प्रतीत होती है किंतु ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं प्रस्तुतीकरण में वही इमेज अपलोड है जो टॉर के समय दिखाई गई थी अतः इसे मान्य किये जाने का अनुरोध है। खदान के पूर्वी दिशा में 12 से 40 मीटर पर तथा उत्तर दिशा में 85 मीटर पर आबादी के संदर्भ मे परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्वी एवं उत्तर दिशा में जो मकान है वह आस–पास की खदानों के साईट आफिस तथा खदानो में कार्य करने वाले मजदूरो के अस्थायी निवास है तथा ग्रामीण आबादी पश्चिम दिशा में है जो आवंटित खनन् क्षेत्र से 270 मीटर की दूरी पर स्थित है। इसी प्रकार आवंटित खनन् क्षेत्र के बीच में एक सिविल संरचना है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह पुराने क्रेशर का हापर मशीन है जो खनन् करते समय पुर्नस्थापित करली जायेगी । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र की पूर्व दिशा में 25 मीटर तथा उत्तर दिशा में 40 मीटर पर पक्का रोड़ निकल रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह दोनो ग्रामीण सड़क है तथा इनके सरंक्षण हेतु पूर्व दिशा में 25 मीटर का तथा उत्तर दिशा में 10 मीटर का सेटबेक एम.एम.आर. 1996 के अनुसार प्रस्तुतीकरण में दिया गया है तथा वृक्षारोपण योजना में इन रोड़ के समीप स्थित खनन् क्षेत्र में 03 पक्तियों में वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है ।

प्रकरण के प्रस्तुतीकरण में पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र का कुछ भाग खुदा हुआ है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनको इसी स्थिति यह स्थल आवंटित हुआ है तथा माईन पिट सरफेस मेप पर दिखाया गया है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई तथा सुझाव के रूप में वृक्षारोपण तथा शिक्षण संस्थान / ग्राम पंचायत में पेयजल / विद्युत व्यवस्था / शौचालय की व्यवस्था किये जाने के सुझाव प्राप्त हुए थे, जिनको ई.एम.पी./सी.ई.आर. में शामिल किया गया है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् हेतु कंट्रोल ब्लास्टिंग की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर जल छिड़काव किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट, देवास

के पेज नं.–39 के सरल क्रमांक–12 पर दर्ज है । **प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान समिति ने पाया कि (गूगल एमेज अनुसार) इस क्षेत्र में पूर्व से पर्यावरणीय अभिस्वीकृति प्राप्त खदानों द्वारा ई.सी. की शर्तो का पालन होना परिलक्षित नहीं हो रहा है। अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया के द्वारा यह परीक्षण कराया लिया जाये कि इस क्षेत्र में कार्यरत खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में निहित शर्तो का पालन किया जा रहा है अथवा नहीं तथा वे पर्यावरणीय अभिस्वीकृति का निमयानुसार छःमाही पालन प्रतिवेदन ऑनलाईन प्रस्तुत कर रहे है अथवा नहीं।** परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 50,009 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.90 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 03,82 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 02.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
सोनकच्छ पी.एच.सी. में चिकित्सीय उपकरण बाबत्	1,00,000
वन्य प्राणी अभ्यारण में वन जीव हेतु पानी की व्यवस्था (सोसर)	1,00,000
योग	**2,00,000**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4626 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1.	बैरियर जोन के अंतर्गत	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, कचनार, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1500
2.	गैर खनन् क्षेत्र में 03 पंक्तियों में वृक्षारोपण	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, पुत्रंजीवा, नीम, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	250
4.	परिवहन मार्ग तक (न्यूनतम ऊंचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरोल, पुत्रंजीवा, करंज, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1000
5.	ग्रामवासियो में वितरण हेतु (ग्राम पंचायत अरनिया जागीर)	नीम, आम,कटहल, मुनगा, आँवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, नींबू, अचार, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1575
6.	ग्राम पंचायत अरनिया के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	नीम, मोलश्री, कदम,एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	301

	कुल	4626

सिया की 762वीं बैठक दिनांक 27/12/2022 को खनन् योजना के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के दोनों ओर पूर्व 24–25 मीटर व उत्तर दिशा में 12–10 मीटर पर पक्की सड़क तथा उत्तर दिशा में 85 मीटर पर आबादी परिलक्षित हो रही है एवं खदान भी पहाड़ पर है । मान्नीय एनजीटी के ओए नं. 304/2019 एवं सीपीसीबी के दिशा–निर्देश अनुसार खनन् प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम् दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम् 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है । उक्त निर्धारित दूरी 200 मीटर के मापदण्ड अनुसार उपरोक्त क्षेत्र की पर्यावरण संवेदनशीलता को देखते हुए तथा न्यूनतम् खनन् क्षेत्र उपलब्ध होने के कारण उक्त प्रकरण को निरस्त किया जाता है ।

उपरोक्त निर्णय के परिप्रेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 03/01/2023 के माध्यम से पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया है कि खदान के दोनों और जो पक्की सड़क है उसका निर्माण क्षेत्र के कलस्टर के सभी पट्टेदार द्वारा कच्ची सड़का को पक्का कर ग्रामीण मार्ग को गॉव तक डामरीकरण द्वारा पक्का किया गया है एवं उत्तर दिशा में 85 मीटर में जो आबादी है वह इस कलक्टर में कार्यरत मजदूरी के अस्थाई मकान एवं साईट ऑफिस है एवं इस खदान के खुलने से ग्रामीणों को रोजगार भी उपलब्ध होगा एवं कलस्टर में चल रही खदान संचालकों द्वारा कहा गया है कि यदि खदान चालू होती है तो इन इस्थाई मकानों को खदान के दूसरी ओर शिफ्ट कर दिया जायेगा । अतः महोदय आपसे निवेदन है कि मेरे प्रकरण को एक बार पुनः अवलोकन परीक्षण हेतु रखा जाये एवं मुझे सभी साक्ष्य प्रस्तुत करने का एक मौका दिया जाये ।

परियोजना प्रस्तावक श्री विश्वजीत सिंह एवं उनके अधिकृत पर्यावरण सलाहकार श्री अंशुल यादव के साथ दिनांक 10/01/2023 को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर उक्त प्रकरण के संबंध में बताया गया कि प्रकरण में खदान के दोनों और जो पक्की सड़क है, उसका निर्माण क्षेत्र के कलस्टर के सभी पट्टेदार द्वारा कच्ची सड़क को पक्का कर ग्रामीण मार्ग को गॉव तक डामरीकरण द्वारा पक्का किया गया है एवं उत्तर दिशा में 85 मीटर में जो आबादी है वह इस कलस्टर में कार्यरत मजदूरी के अस्थाई मकान एवं साईट ऑफिस है एवं इस खदान के खुलने के ग्रामीणों को रोजगार भी उपलब्ध होगा एवं कलस्टर में चल रही खदान संचालकों द्वारा कहा गया है कि यदि खदान चालू होती है तो इस अस्थाई मकानों को खदान के दूसरी ओर शिफ्ट कर दिया जायेगा एवं प्रस्तावित खदान में ब्लास्टिंग नहीं की जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है ।

प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों को समिति समक्ष आज दिनांक 08/04/23 को रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री विश्वजीत सिंह (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री राहुल यादव, (ऑनलाईन) मेसर्स अमलतास इंवायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरूग्राम हरियाणा उपस्थित हुए।

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खदान के दोनों और जो पक्की सड़क है, उसका निर्माण क्षेत्र के कलस्टर के सभी पट्टेदार द्वारा कच्ची सड़क को पक्का कर ग्रामीण मार्ग को

गॉव तक डामरीकरण द्वारा पक्का किया गया है एवं उत्तर दिशा में 85 मीटर में जो आबादी है वह इस कलस्टर में कार्यरत मजदूरी के अस्थाई मकान एवं साईट ऑफिस है एवं यदि खदान चालू होती है तो इस अस्थाई मकानों को खदान के दूसरी ओर शिफ्ट कर दिया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक ने यह भी बताया कि आबादी के कारण प्रस्तावित खदान में ब्लास्टिंग नहीं की जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत दिया गया है तथा खनन् कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा ।

समिति ने पाया कि सेक की 608वीं बैठक दिनांक 06/12/22 में सभी पर्यावरणीय संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का परीक्षण किया गया था, जिसके कार्यवाही विवरण में उल्लेखित है :–

''आवंटित खनन् क्षेत्र के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में 200 मीटर पर आबादी, पश्चिम क्षेत्र में भी 70 मीटर पर आबादी है, दक्षिण पूर्व दिशा में 130 मीटर पर पक्का रोड़ तथा पूर्व दिशा में 10 मीटर पर कच्चा रोड़ है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा पुनरीक्षित अपलोडेड ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं खनन् योजना में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं की गई है तथा खनन् हेतु जैक हैमर / रॉक ब्रेकर का उपयोग किया जायेगा । इसी प्रकार पश्चिम क्षेत्र में भी 70 मीटर पर आबादी के कारण 30 मीटर का सेटबेक तथा पूर्व दिशा में 10 मीटर पर कच्चा रोड़ के कारण 7.5 मीटर के बेरियर जोन मे सघन वृक्षारोपण किया जायेगा । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के पश्चिम दिशा में 40 मीटर की दूरी पर एक मकान है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह उनका स्वंय का मकान है जो खनन् दौरान मजदूरो के आराम एवं साईट ऑफिस के रूप में उपयोग किया जायेगा जिस बाबत उन्होने ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत बम्हनगांव ने पत्र दिनांक 21/5/22 के माध्यम से प्रमाणित किया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि सेटबेक छोड़ने के बाद करीब 1.00 हे. क्षेत्र खनन् हेतु उपलब्ध होगा जो 9938 घन मीटर प्रति वर्ष के उत्पादन हेतु पर्याप्त है'' ।

समिति ने पाया कि सेक की 608वीं बैठक दिनांक 06/12/22 में उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर ही समिति ने पर्यावरणीय अभिस्वीकृति द्वारा अनुशंसा की गई थी तथा परियोजना प्रस्तावक ने आज प्रस्तुतीकरण के दौरान यह भी बताया कि आबादी के कारण प्रस्तावित खदान में ब्लास्टिंग नहीं की जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत दिया गया है तथा खनन् कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा एवं अस्थाई मकानों को खदान के दूसरी ओर शिफ्ट कर दिया जायेगा । अतः समिति द्वारा 608वीं बैठक दिनांक 06/12/22 में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा में अतिरिक्त शर्त ''खनन् कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम'' एवं ''अस्थाई मकानों को खदान के दूसरी ओर शिफ्ट'' करने की शर्तो को शामिल करते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

22. <u>Case No 9403/2022 Shri Ashok Ahirwar, Owner, Hanuman Mandir sa Samna, Tilli Ward, Sagar, Tehsil- Sagar, Dist. Sagar, MP - 470001, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (10260 Cum per annum) (Khasra No. 93), Village - Majhguwa Ahir, Tehsil - Sagar, Dist. Sagar (MP)</u>

This is case of for Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 93), Village - Majhguwa Ahir, Tehsil - Sagar,

Dist. Sagar (MP) 2.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

पूर्व में यह प्रकरण सेक की 606वी बैठक दिनांक 14/11/22 में प्रस्तुत हुआ था जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अशोक अहिरवार, (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा.) लि0. नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाया गया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1131 दिनांक 08/10/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, इस प्रकार कुल रकबा 5.00 हे. होने के कारण प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि अनुमोदित खनन् योजना में उल्लेखित अक्षांश–देशांश का अनुमोदित जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के अक्षांश–देशांश से मिलान नहीं हो रहा है । अतः समिति ने निर्णय लिया कि इस प्रकरण में आगामी कार्यवाही हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी से स्थिति स्पष्ट कराते हुए प्रस्तावित खदान के वास्तविक अक्षांश–देशांश संबंधी जानकारी 15 दिवस में प्राप्त करें। परियोजना प्रस्तावक ने दिनांक 02/12/22 को आन लाईन कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) जिला सागर का पत्र क्रमांक 1984 दिनांक 21/11/2022 अपलोड किया ।

यह प्रकरण सेक की 614वीं बैठक दिनांक 23/12/22 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अशोक अहिरवार, (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसार्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए जिसमें परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि कार्यालय कलेक्टर (खजिन शाखा) जिला सागर ने पत्र क्रमांक 1984 दिनांक 21/11/2022 के माध्यम से सूचित किया है कि डी.एस.आर. एवं खनन् योजना में आक्षांश व देशांस भिन्न है तथा कार्यालयीन अभिलेख अनुसार प्रस्तुत खनन् योजना के आक्षांस एवं देशांस सही पाये गये है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान पहाड़ पर आवांटित है जिसके पूर्व दिशा में 135 मीटर पर आबादी है जिस कारण पूर्व दिशा में 70 मीटर का सेट बेक प्रस्तुतीकरण में दिया गया है तथा 160 मीटर पर उत्तर पश्चिम दिशा मे एक प्राकृतिक नाला स्थित है तथा लीज एरिया मे स्थित 01 पेड़ को काटा जाना प्रस्तावित है जिसके एवज में 10 पेड़ अतिरिक्त लगाये जावेंगे। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान का दक्षिण भाग कुछ खुदा हुआ दिख रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान हमको पूर्व में 02/11/12 से 01/11/22 तक स्वीकृत थी जिसमें खनन् कार्य एक से दो वर्ष किया गया था तथा उसके पश्चात् परिवारिक समस्यों के कारण खदान बंद रही जिसका उल्लेख माईन प्लान में किया गया है मेरे द्वारा पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नही की गई थी इसके पश्चात् खदान का नवकरण कराया गया है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–83 के सरल क्रमांक–91 पर दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 10,260 मी^{3} प्रति वर्ष।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.01 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.19 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.00 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
मझगुवा अहीर गॉव के आंगनवाड़ी में सुरक्षा दिवार और रिचार्ज पिट के साथ एक हैंडपंप की स्थापना एवं एक झूला एवं एक फिसलपट्टी का निर्माण	1,00,000/-

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	चिरोल , नीम , जंगल जलेबी , सीताफल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	800
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	सीताफल, आवलाँ,अमरुद, ग्राफ्टिंग मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1200
		कुल	2400

प्रकरण में सिया की 766वीं बैठक दिनांक11/01/2023 को पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरंत निम्नानुसार निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक द्वार पूर्व में किये गये उत्खनन् के संबंध में दी गई जानकारी अनुसार प्रकरण Violation की श्रेणी के अंतर्गत आता है अथवा नहीं के संबंध में स्पष्ट अभिमत सहित अनुशंसाा हेतु प्रकरण सेक को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया जाये ।

प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 08/04/23 को रखा गया । समिति ने पाया कि सेक की 606वी बैठक दिनांक 14/11/22 में सभी पर्यावरणीय संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का परीक्षण किया गया था, जिसके कार्यवाही विवरण में उल्लेखित है :–

''प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि खदान का दक्षिण भाग कुछ खुदा हुआ दिख रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खदान हमको पूर्व में 02/11/12 से 01/11/22 तक स्वीकृत थी जिसमें खनन् कार्य एक से दो वर्ष किया गया था तथा उसके पश्चात् परिवारिक समस्यों के कारण खदान बंद रही जिसका उल्लेख माईन प्लान में किया गया है मेरे द्वारा पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त नही की गई थी इसके पश्चात् खदान का नवकरण कराया गया है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है'' ।

समिति ने पाया कि सेक की 606वी बैठक दिनांक 14/11/22 में उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर ही समिति ने पर्यावरणीय अभिस्वीकृति द्वारा अनुशंसा की गई थी तथा अनुमोदित खनन् योजना में ओल्ड पिट साईज 5256 घनमीटर उल्लेखित तथा यह भी उल्लेखित है कि 2015–16 से 2019–20 तक कोई खनन् कार्य नहीं किया गया है । समिति का मानना है कि यदि यह प्रकरण वॉयलेशन का होता तो समिति द्वारा उस पर संज्ञान में लेकर समुचित कार्यवाही हेतु प्रकरण सिया को प्रेषित करती, जिस प्रकार पूर्व में कुछ प्रकरणों में वॉयलेशन पाये जाने पर सिया को प्रेषित किए गए । अतः समिति द्वारा बैठक क्रमांक 606वी बैठक दिनांक 14/11/22 में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

23. **Case No 9448/2022 Smt. Chanchala Joshi, Lease Owner, R/o 39 A, Sainath Colony, District Barwani (MP)-451551, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.00 ha. (9700 Cum per year) (Khasra No. 139/1), Village - Kari, Tehsil - Badwani, Dist. Badwani (MP)**

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 139/1), Village - Kari, Tehsil - Badwani, Dist. Badwani (MP) 2.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 611वीं बैठक दिनांक 14/12/22 में प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्रीमती चंचला जोशी (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 498 दिनांक 15/06/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी नही दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान पहाड़ पर स्थित है, जिसके उत्तर दिशा में 100 मीटर एवं पश्चिम दिशा में 375 मीटर पर नहर है, जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण में जारी सैद्धांतिक मंजूरी पत्र क्रमांक 345 दिनांक 02/05/22 में उल्लेखित है कि कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक–11, बड़वानी के पत्र क्रमांक 661 दिनांक 24/05/22 के अनुसार यह उल्लेखित है कि खसरा क्रमांक 139/1 उत्खनन् पट्टा नहर से करीब 100 मीटर की दूरी होने पर विभाग को कोई आपत्ति नहीं है । प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के उत्तरी दिशा में एक खदान खुदी हुई दिख रही है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण में जारी सैद्धांतिक मंजूरी पत्र क्रमांक 345 दिनांक 02/05/22 में खनिज निरीक्षक, बड़वानी के रिपोर्ट में यह उल्लेखित है कि आवेदित क्षेत्र से 500 मीटर की परिधि में अन्य स्वीकृत खनिज रियायत नहीं है तथा आवेदित क्षेत्र में पास में पूर्व में उत्खनन् हुआ है, यह उसी का पिट है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पूर्व में इस स्थल पर एक अस्थाई अनुज्ञा की खदान कार्यरत रही है, जिसका यह पिट है । एकल प्रमाण–पत्र 1332

दिनांक 15/07/2022 अनुसार प्रस्तावित उत्खनिपट्टें आगामी जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में शामिल किया जावेगा । एकल प्रमाण–पत्र कमांक 498 दिनांक 15/06/22 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त उत्खनिपट्टा की संपूर्ण प्रकिया हो जाने के उपरांत 10 वर्ष की अवधि हेतु डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में सम्मिलित कर ली जाएगी जबकि प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने अवगत कराया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज कमांक 39 के सरल कमांक 04 पर इस खदान का विवरण अंकित है । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र कमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 9,700 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 10.61 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 04.91 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.60 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
ग्राम करी के प्राथमिक विद्यालय की पुताई व पीने की पानी की नवीन टंकी की व्यवस्था की जायेगी।	60,000/–

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यकम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2400 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	कस्टार, जंगल, जलेबी, खमेर, चिरौल, आवंला, सीताफल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	1200
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	शीशम, चिरौल, करंज, खमेर, अमलतास एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ,	200
3	'ग्राम पंचायत करी के ग्रामवासियों को वितरण हेतु	इमली, आवंला, आम, अमरूद, जामुन, मुनगा एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियॉ।	980

4.	शासकीय विद्यायल करी में	कदंब, अमलतास, अशोक, नीम, गुलमोहर।	20
		कुल	**2400**

सिया की 764वीं बैठक दिनांक 29/12/2022 को उत्तर दिशा में 100 मीटर पर नहर होने के कारण उपरोक्त न्यूनतम् दूरी के मय मापदण्ड के दृष्टिगत न्यूनतम् खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध होना परिलक्षित है। अतः प्राधिकरण द्वारा सर्व सम्मति से प्रकरण को निरस्त करने का निर्णय लिया गय । उपरोक्त निर्णय के परिप्रक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 31/12/2022 के माध्यम से प्रकरण में पुनर्विचार किये जाने एवं प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किये जाने का अनुरोध किया गया ।

सिया की 765वीं बैठक दिनांक 10/01/2023 को परियोजना प्रस्तावक के अधिकृत पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव द्वारा दिनांक 10/01/2023 को प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होकर उक्त प्रकरण के संबंध में बताया गया कि प्रकरण कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक–11 द्वारा नहर से 100 मीटर दूरी हाने पर विभाग को कोई आपत्ति नहीं है के संबंध में अनापत्ति पत्र प्रस्तुत कर एवं प्रस्तावित खदान में ब्लास्टिंग नहीं की जावेगी के संबंध में शपथ–पत्र प्रस्तुत करते हुए स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया गया है।

सिया द्वारा विस्तृत चर्चा एवं विचार–विमर्श उपरांत प्राधिकारी की 763वीं बैठक दिनांक 28/12/22 में लिए गए निर्णय के संबंध में परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत जानकारी पर पुनर्विचार कर प्रकरण को रि–ओपन करते हुए परियोजना प्रस्तावक/ पर्यावरण सलाहकार द्वार प्रस्तुत तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में सेक को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया गया है ।

प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 08/04/23 को रखा गया । समिति ने पाया कि सेक की 611वीं बैठक दिनांक 14/12/22 में सभी पर्यावरणीय संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का परीक्षण किया गया था, जिसके कार्यवाही विवरण में उल्लेखित है :–

''परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार खदान पहाड़ पर स्थित है, जिसके उत्तर दिशा में 100 मीटर एवं पश्चिम दिशा में 375 मीटर पर नहर है, जिस हेतु परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस प्रकरण में जारी सैद्धांतिक मंजूरी पत्र क्रमांक 345 दिनांक 02/05/22 में उल्लेखित है कि कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक–11, बड़वानी के पत्र क्रमांक 661 दिनांक 24/05/22 के अनुसार यह उल्लेखित है कि खसरा क्रमांक 139/1 उत्खनन् पट्टा नहर से करीब 100 मीटर की दूरी होने पर विभाग को कोई आपत्ति नहीं है'' ।

समिति ने पाया कि सेक की 611वीं बैठक दिनांक 14/12/22 में उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर ही समिति ने पर्यावरणीय अभिस्वीकृति द्वारा अनुशंसा की गई थी तथा परियोजना प्रस्तावक ने पत्र दिनांक 31/12/22 के माध्यम से प्रस्तुत शपथ–पत्र दिनांक 31/12/22 के अनुसार नहर के कारण प्रस्तावित खदान में ब्लास्टिंग का उपयोग नहीं करने तथा खनन् कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जावेगा

प्रस्तुत किया है। अतः समिति द्वारा 611वीं बैठक दिनांक 14/12/22 में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा में अतिरिक्त शर्त ''खनन् कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम'' शामिल करते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

24. Case No 9410/2022 Shri Bhupendra Singh Sisodiya, Owner, Village - Ramnagar, Tehsil - Ichhawar, Dist. Sehore, MP - 466115, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 2.0 ha. (5001 Cum per annum) (Khasra No. 345), Village - Ramnagar, Tehsil - Ichhawar, Dist. Sehore (MP)

This is case of for Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 345), Village - Ramnagar, Tehsil - Ichhawar, Dist. Sehore (MP) 2.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 607वीं बैठक दिनांक 21/11/22 को प्रस्तुतीकरण हेतु सूचीबद्ध था किंतु परियोजना प्रस्तावक एवं उनके पर्यावरणीय सलाहकार प्रस्तुतीकरण हेतु समिति के समक्ष उपस्थित नहीं हुए है । समिति ने निर्णय लिया कि परियोजना प्रस्तावक को प्रस्तुतीकरण हेतु अंतिम अवसर देते हुए प्रकरण आगामी बैठक में रखा जाये तथा यदि फिर भी परियोजना प्रस्तावक अनुपस्थित रहते है तो इस प्रकरण निरस्त (डिलिस्ट) करते एसईआईएए को अग्रिम कार्यवाही हेतु भेजा जावें।

प्रकरण सेक की 609वीं बैठक दिनांक दिनांक 07/12/22 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री भूपेन्द्र सिंह सिसोदिया और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री जी.के. मिश्रा, मेसर्स अमलतास इंवायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरूग्राम हरियाणा उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 3051 दिनांक 14/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 03.214 हे. होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा इस प्रकरण में पूर्व उनके द्वारा पर्यावरणीय सलाहकार मेसर्स ग्लोबल मैनेजमेंट एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंटरनेशनल, जयपुर को अधिकृत किया गया था, जिनकी नेबिट एक्रीडिएशन सर्टिफिकेट की वैधता दिनांक 07/11/22 को समाप्त हो चुकी थी और मेरे प्रोजेक्ट में बिलंब न हो, इस दृष्टिकोण से मेरे द्वारा मेसर्स ग्लोबल मैनेजमेंट एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंटरनेशनल, जयपुर के स्थान पर मेसर्स अमलतास इंवायरो इण्डस्ट्रीयल कंसलटेंट, एलएलपी, गुरूग्राम हरियाणा से अनुबंध किया गया है, जिसकी सूचना सिया एवं सेक को दिनांक 30/11/22 को ई–मेल कर दिया गया है, जो प्रस्तुतीकरण में दिया गया है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पूर्व दिशा में 10 मीटर पर कच्चा रोड, पश्चिम दिशा में 50 मीटर तथा उत्तर दिशा में 200 मीटर पर पक्का रोड़ है । परियोजना प्रस्तावक ने

बताया कि पश्चिम दिशा में स्थित 50 मीटर की दूरी पर जो पक्का रोड़ है, वह ग्रामीण रोड़ है तथा एम.एम.आर., 1996 अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र से 50 मीटर की दूरी पर स्थित है तथा उनके द्वारा नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट अपलोड की गई है, जिसके पेज नं. 79 पर इस खदान का विवरण दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 5,001 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 07.06 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 02.84 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.25 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
शासकीय प्राथमिक शाला रामनगर में 2 0बेंच व 5 कुर्सियों की व्यवस्था	25,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, सिस्सू एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	150
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरोल, करंज, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	350
3	गैर खनन क्षेत्र	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	400
4.	ग्रामवासियो में वितरण हेतु (ग्राम पंचायत रामनगर)	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	600
5.	ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम पंचायत रामनगर के चिन्हित क्षेत्र में	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, सीताफल, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
6.	ग्राम पंचायत रामनगर के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, सिस्सू. एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	300
		कुल	2000

सिया के पत्र क्रमांक 2487 दिनांक 05/01/23 के द्वारा ''सिया की 763वीं बैठक दिनांक 18/12/22 अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन् योजना के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज के अनुपसार खदान क्षेत्र के पूर्व दिशा में 10 मीटर पर कच्चा रोड़ तथा पश्चिम दिशा में 50 मीटर पर पक्का रोड़ परिलक्षित है । मान्नीय एनजीटी के ओए नंबर 304/2019 एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देश अनुसार खनन् प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम् दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम् 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है ।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा ई–मेल दिनांक 13/12/22 के माध्यम से खनन् क्षेत्र में नॉन ब्लास्टिंग हेतु शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है । अतः नॉन ब्लास्टिंग के परीक्षण हेतु प्रकरण सेक को पुनः प्रेषित किया गया है ।

प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 08/04/23 को रखा गया । समिति ने पाया कि सेक की 609वीं बैठक दिनांक दिनांक 07/12/22 में सभी पर्यावरणीय संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का परीक्षण किया गया था, जिसके कार्यवाही विवरण में उल्लेखित है :–

''परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खदान के पूर्व दिशा में 10 मीटर पर कच्चा रोड, पश्चिम दिशा में 50 मीटर तथा उत्तर दिशा में 200 मीटर पर पक्का रोड़ है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि पश्चिम दिशा में स्थित 50 मीटर की दूरी पर जो पक्का रोड़ है, वह ग्रामीण रोड़ है तथा एम.एम.आर., 1996 अनुसार आवंटित खनन् क्षेत्र से 50 मीटर की दूरी पर स्थित है'' ।

समिति ने पाया कि सेक की 609वीं बैठक दिनांक दिनांक 07/12/22 में उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर ही समिति ने पर्यावरणीय अभिस्वीकृति द्वारा अनुशंसा की गई थी तथा परियोजना प्रस्तावक ने ई–मेल दिनांक 13/12/22 के माध्यम से खनन् क्षेत्र में नॉन ब्लास्टिंग हेतु शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः समिति द्वारा 609वीं बैठक दिनांक दिनांक 07/12/22 में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा में अतिरिक्त शर्त ''खनन् कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम'' शामिल करते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

25. <u>Case No 9456/2022 Shri Abhishek Kumawat, Leasee, R/o Villag Chakrawada, Tehsil Ghattiya, District Ujjain (MP)-456001 Prior Environment Clearance for Murum Quarry in an area of 1.00 ha. (10000 cum per year) (Khasra No. 16/1, 97/1/1, 97/1/2), Village - Madhawgarh, Tehsil - Ghattiya, Dist. Ujjain (MP)</u>

This is case of Murum Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 16/1, 97/1/1, 97/1/2), Village - Madhawgarh, Tehsil - Ghattiya, Dist. Ujjain (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की पूर्व 618वीं बैठक दिनांक 15/12/22 को प्रस्तुतीकरण हुआ था जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अभिषेक कुमावत (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार सुश्री रीना त्रिवेदी एवं श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1577 दिनांक 14/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी नही दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार आंवटित खनन् क्षेत्र में लगभग 07 पेड़ लगे हैं तथा प्रस्तुतीकरण में पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र की जो इमेज ऑनलाईन अपलोड की गई तथा जो प्रस्तुतीकरण में दिखाई जा रही है, उसमें अंतर हैं। अतः परियोजना प्रस्तावक इस संबंध में सही स्थिति की जानकारी प्रमाणित दस्तावेजों सहित तथा आवंटित खनन् क्षेत्र में लगे पेड़ों की इंवेंट्री (उसकी प्रजाति, ऊचाई एवं गर्थ फोटोग्राफ सहित) आगामी 15 दिवस में प्रस्तुत करें ।

परियोजना प्रस्तावक ने उपरोक्त जानकारी परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है, जिसे समिति की पूर्व की 618वीं बैठक दिनांक 11/01/2023 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री अभिषेक कुमावत (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार सुश्री रीना त्रिवेदी एवं श्री अमित सक्सेना, (ऑनलाईन) मेसर्स एपेक्स मिनटेक कांसल्टेंट, उदयपुर उपस्थित हुए । परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार आवंटित खदान के पूर्व दिशा में 365 मीटर पर रोड़ है । परियेाजना प्रस्तावक ने बताया कि मुरूम का खनन् होने के कारण ब्लास्टिंग नहीं की जावेगी। कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के पत्र क्रमांक 2000 दिनांक 17/11/22 के द्वारा सूचित किया गया कि जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट वर्ष 2022–23 में तैयार की गई है जबकि उत्खनिपटटा जिला डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट होने के पश्चात् स्वीकृत किया गया है । उक्त उत्खनिपट्टा में संपूर्ण प्रकिया (उत्खनि पट्टा संचालन) पूर्ण हो जाने उपरांत नवीन डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में उक्त खदान सम्मिलित कर ली जावेगी। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये ।परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता मुरूम – 10,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 07.59 लाख एवं रिक्ररिंग राशि रू. 01.60 लाख प्रति वर्ष ।

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.75 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
ग्राम माधवगढ के प्राथमिक स्कूल में टंकी सहित शुद्ध पैयजल के लिए वॉटरफिल्टर लगाया जायेगा	30,000
ग्राम माधवगढ़ के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में स्ट्रेचर एवं वीलचेयर प्रदान की जाएगी	45,000
कुल	75000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 1400 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	नीम, पीपल, करंज, चिरोल, जंगल जलेबी, खमेर, सिस्सू आदि।	330
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल, आदि	170
3	ग्रामीणों में पौधों का वितरण	आम, जामुन, अमरूद, आंवला, अनार, निम्बू, कटहल, आदि	700
4	पट्टा क्षेत्र के अंदर काटे जाने वाले वृक्षों के बदले लगाए जाने वाले पोधो की संख्या	नीम, पीपल, कचनार, करंज, चिरोल आदि स्थानीय प्रजातियां	200
		कुल वृक्षारोपण	1400

सिया की 769वीं बैठक दिनांक 01/02/23 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला उज्जैन के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 1577 दिनांक 14/09/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई खदान स्वीकृत / संचालित नहीं होना बताया गया है जबकि माईनिंग प्लांन के अक्षांश—देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार सिया द्वारा प्रकरण 9351/2022 में आवेदक पवन अंजाना के नाम पर एक अन्य खदान रकबा 4.00 हेतु में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है । अतः प्रकरण में कलेक्टर, उज्जैन से प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत / संचालित खदानों की स्पष्ट जानकारी 15 दिवस में सीधे सेक को प्रेषित की जाये और प्रकरण सेक को भेजा गया है ।

प्रकरण आज दिनांक 08/04/23 को समिति के समक्ष रखा गया और प्रकरण के अवलोकन उपरांत समिति ने निर्णय लिया कि सिया की 769वीं बैठक दिनांक 01/02/23 में लिए गए निर्णय ''कलेक्टर, उज्जैन से प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदान की स्पष्ट जानकारी हेतु पत्र लिखा जाये और उक्त जानकारी 15 दिवस में सीधे ही सेक को प्रेषित की जाये । तद्नुसार प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को अग्रेषित किया जाये। समिति ने पाया कि आज दिनांक 27/03/23 को उक्त जानकारी कलेक्टर, उज्जैन की जानकारी ई–मेल से प्राप्त हुई, जिसके अनुसार प्रभारी खनिज अधिकारी, जिला उज्जैन ने पत्र क्रमांक 404 दिनांक 17/02/23 के माध्यम से सूचित किया है कि आवंटित के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान श्री पवन पिता भगवान सिंह अंजाना के नाम से स्वीकृत है, जिसका रकबा 4.00 हे. है । समिति ने पाया कि प्रश्नाधीन खदान का रकबा 01.00 हे है, अतः दोनों खदानों को मिलाकर कुल रकबा 05.00 हे. होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है, अतः समिति द्वारा 618वीं बैठक दिनांक 11/01/2023 में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

समिति की यह भी अनुशंसा है कि इस प्रकरण में पूर्व में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1577 दिनांक 14/09/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नहीं होने की जानकारी दी गई थी तथा सिया की 769वीं बैठक दिनांक 01/02/23 यह संज्ञान में आने पर कि प्रकरण क्रमांक 9351/2022 में आवेदक पवन अंजाना के नाम पर एक अन्य खदान रकबा 4.00 हेतु में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी की गई है प्रभारी खनिज अधिकारी, जिला उज्जैन ने पुनरीक्षित प्रमाण पत्र क्रमांक 404 दिनांक 17/02/23 के माध्यम से सूचित किया है कि आवंटित के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान श्री पवन पिता भगवान सिंह अंजाना के नाम से स्वीकृत है, जिसका रकबा 4.00 हे. है । उपरोक्त से स्पष्ट है कि पूर्व में कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 1577 दिनांक 14/09/2022 के माध्यम से त्रुटिपूर्ण जानकारी इस प्रकरण में सिया / सेक को प्रदाय की गई है, अतः समिति की अनुशंसा है कि इस प्रकरण को सिया स्तर से संबंधित कलेक्टर के संज्ञान में लाया जाये ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति ना हो ।

26. <u>Case No 9481/2022 Shri Pankaj Patidar, Lessee R/o 465, Ward no. 07, Gandhi marg, bus Stand, District Barwani (MP)-451556, Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 1.950 ha. (25080 Cum per annum) (Khasra No. 161), Village - Palasia, Tehsil - Anjad, Dist. Barwani (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 161), Village - Palasia, Tehsil - Anjad, Dist. Barwani (MP) 1.950 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की 614वीं बैठक दिनांक 23/12/22 को प्रस्तुतीकरण हुआ था जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री पंकज पाटीदार (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) एकल प्रमाण–पत्र क्रमांक 699 दिनांक 28/07/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 4.950 हे. होता है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार आवंटित खनन् पहाड़ पर स्थित है एवं खदान के पूर्व एवं उत्तर दिशा में 185 मीटर पर नहर है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नहर के सरंक्षण हेतु प्रस्तुतीकरण में संलग्न सरफेस मेप में 15 मीटर का सेट वेक पूर्व एवं उत्तर दिशा में प्रस्तावित किया गया है साथ ही गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक भी प्रस्तावित किये गये है। आवंटित खनन् क्षेत्र के बीच से पूर्व दिशा एवं पश्चिम दिशा की ओर सरफेस ड्रेन निकल रहे है जिसमें संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक के माध्यम से चेनेलाईज किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं.–40 के सरल क्रमांक–6 पर दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 25080 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 11.63 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 4.02 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
ग्राम पलासिया के ऑगनवाड़ी केन्द्र में बच्चों के बैठने के लिए 8 टेबल–कुर्सी तथा बच्चों के खेलने के लिए खिलोनौं का वितरण किया जायेगा।	70,000/–

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 2340 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	नीम, जगंल जलेबी, कस्टार, चिरौल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	600

2	खदान क्षेत्र के परिवहन मार्ग एवं ग्रामीण मार्ग के दोनों ओर 500 मीटर तक	जगंल जलेबी, कस्टार, सेमल, चिरौल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ।	200
3	ग्राम पलासिया के नजदीक स्थित प्राथमिक उपचार केंद्र में	मुनगा, अमरूद, बेल, इमली, आंवला, कटहल, जामुन, एवं अन्य स्थानीय फलदार प्रजातियॉ	1520
4.	शासकीय विद्यालय पलासिया, में	कदंब,अमलतास,अशोक, मौलश्री, पुत्ररंजीवा, गुलमोहर इत्यादि।	20
		कुल	**2340**

सिया के पत्र क्रमांक 2594 दिनांक 24/1/23 के द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वार प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लांन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में दो अन्य खदान प्रकरण क्रमांक 9335/(2.0 हे.) एवं 6581 (3.0 हे.) स्वीकृत / संचालित है, इस प्रकार प्रस्तावित खदान को मिलाकर कुल रकबा 6.90 हे. होता है किंतु कार्यालय कलेक्टर (खनिज) बड़वानी द्वारा जारी पत्र क्रमांक 699 दिनांक 28/07/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में एक अन्य खदान 3.0 हे. ही होना बताया गया है । अतः कलेक्टर, जिला बड़वानी द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/ संचालित खदानों का स्थल निरीक्षण करवाकर वास्तविक जानकारी 15 दिवस में सीधे ही सेक को प्रेषित किया जाये और प्रकरण को पुनः परीक्षण हेतु सेक प्रेषित किया गया।

प्रकरण आज दिनांक 08/04/23 को समिति के समक्ष रखा गया और प्रकरण के अवलोकन उपरांत समिति ने पाया कि सिया की 766वीं बैठक दिनांक 11/01/23 में लिए गए निर्णय अनुसार *"कलेक्टर, जिला बड़वानी द्वारा प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/ संचालित खदानों का स्थल निरीक्षण करवाकर वास्तविक जानकारी 15 दिवस में सीधे ही सेक को प्रेषित किया जाये"* के संदर्भ में कलेक्टर, जिला बड़वानी से आज दिनांक तक जानकारी अप्राप्त है तथा प्रकरण काफी समय से लंबित है । अतः समिति की अनुशंसा है कि सिया की 770वीं बैठक दिनांक 02/02/23 में लिए गए निर्णय अनुसार प्रकरण को डिलिस्ट किया जाये तथा जब जानकारी प्राप्त हो तो उसे पुनः परीक्षण हेतु सेक को प्रेषित किया जाये ।

27. Case No. - 5809/2018 M/s Arpan Enterprises, Shri Vishwas Panwar, Proprietor, 100, Vikas Nagar, Scheme No. 14/4, Dist. Neemuch, MP Prior Environment Clearance for Laterite Quarry in an area of 24.093 Ha. (Laterite – 51,832 ton per annum, Salable waste material as Murrum - 5000 cum) (Khasra No. 2214/3 (part) at Village-Kasba Agar, Tehsil - Agar, Dist. Agar Malwa (MP).

This is case of Prior Environment Clearance for Laterite Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed area of 24.093 Ha. (Laterite - 51832 ton per annum, salable waste material as Murrum - 5000 cum) (Khasra No. 2214/3

(part)) at Village- Kasba Agar, Tehsil - Agar, Dist. Agar Malwa (MP).The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 342वीं दिनांक 18/02/2019 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण सेक की 617वीं बैठक दिनांक 03/01/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिमसें परियोजना प्रस्तावक की ओर से उनके अधिकृत प्रतिनिधि श्री बंसत जाधव और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान अनुमोदित माइन प्लॉन में उल्लेखित अक्षांश–देशांस के आधार पर गूगल इमेज अनुसार खनन् क्षेत्र के पास उत्तर दिशा में 550 मीटर पर एक जल निकाय क्षेत्र है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस जल निकाय – मोती सागर तालाब मे प्रदूषण रोकने के लिये रिटेनिंग वॉल तथा गारलेन एंव सेटलिंग टैंक प्रस्तावित है जिसका उर्पयुक्त बजट ई.एम.पी. मे दर्शाया गया है। इसी प्रकार लीज क्षेत्र के स्थित सरफेस ड्रेन को टोपोग्राफी दृष्टिगत रखते हुये गारलेण्ड एंव सेटलिंग टैंक के माध्यम से चेनलाईज किया जाना प्रस्तावित है । आवंटित खनन् क्षेत्र के पश्चिम एंव दक्षिण दिशा मे क्रमशः 30 मीटर एंव 170 मीटर पर पक्का रोड़ है तथा 120 मी.दक्षिण दिशा मे आबादी / बसाहट है। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् के दौरान ड्रिलिंग एवं ब्लास्टिंग प्रस्तावित नही है तथा पश्चिम दिशा में रोड़ के कारण 20 मी. का सेटबेक भी प्रस्तावित किया गया है। दक्षिण दिशा मे जो आबादी/बसाहट दिख रही है वह ईट भट्टों मे कार्यरत श्रमिकों के आवास है तथा खनन् क्षेत्र से लगभग 120 मीटर की दूरी पर हैं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा गौचर जमीन प्रभावित होना, माधव गौशाला की चारागाह भूमि समाप्त होना, पशु संवर्धन केन्द्र पास होना, मोती सागर तालाब में प्रदूषण, ग्रामपुरा साहिब नगर समीप स्थित होना इत्यादि आपत्तियॉ प्राप्त हुए थी, जिनके संदर्भ में उनके द्वारा ई.एम.पी. एवं सी.ई. आर. में प्रस्तावों को शामिल किया गया है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के उत्तर दिशा में करीब 04.00 हे. तथा पश्चिम दिशा में करीब 30.00 हे. शासकीय भूमि उपलब्ध है, जिस पर सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर लगभग 05.00 हे. क्षेत्र में चारागाह विकास का कार्य पशु पालन विभाग के माध्यम से कराया जायेगा । इसी प्रकार खनन् क्षेत्र के पास स्थित गौशाला, स्कूल एवं मंदिर के विकास एवं संधारण हेतु पृथक से वजट का प्रावधन सी.ई.आर. में किया गया हैं । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता लेटराईट – 51832 टन प्रति वर्ष एवं मुरूम – 5000 टन प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 45.28 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 21.19 लाख प्रति वर्ष ।

3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 07.30 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

Commitment towards public hearing Issue in terms of Physical Target		
S N	**Issues**	**Cost in Rs Lakhs**
1	Protection through construction of retaining wall of Motisagar pond	0.50
2	Infrastructure support to Purasaheb School	1.00
3	Support to Old age Homes at Agar Malawa	0.50
4	Support to renovation of Temple	0.50
5	Fodder plot development	1.00
6	Support to Goshala at Agar Malawa	1.50
7	Fodder Development over 5 hact area in consultation with Veterinary department inclusive of of fencing and security arrangement for 5 years	3.0
	Total	**7.30**

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 28,500 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

Phase	Name of Tree/ shrub/Herbs	No. of Plants	Location	Remark
1st and 2nd year	Neem, White Kastar, Babul, Chirol, Khamar and other local species etc. Row To Row Distance : 2.5 mtr Plant To Plant Distance 3 mtrs	**3000**	Along with barrier zone having area of 1.50ha	Inside Fencing (Trench of 45 cm will be provided with channelling facility
Along with mining operation	Agave Americana Slips, Khas Slips, Neem, Chirol and other local species etc.	**1000**	Along the garland drain (3 no)	Over heap and along the drain. Drain will be inside the lease area which will be fenced
Along with Mining Operation	Karanj, Jangal Jalebi, White Kastar, Neem, Chiroli, Katang Bans, Khamar, and other local species etc.	**22000**	Over backfilled area	Within lease area which will be fenced

1st and 2nd year	Karanj, Munga, Neeem, Chirol, Sitafal, Jamun and other local species etc.	**2000**	village distribution	
1st year	Anjan, Siras	**500**	Gaushala	
	Total	**28500**		

सिया के पत्र क्रमांक 2775 दिनांक 08/02/23 के द्वारा प्रकरण में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, जिला आगर मालवा की अध्यक्षता में आयोजित जन सुनवाई बैठक दिनांक 11/02/21 में खदान क्षेत्र के समीप स्थित गौशाला एवं गोचर भूमि के संरक्षण हेतु आपित्तयों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासकीय भूमि पर चारागाह विकास एवं गौशाला निर्माण हेतु राशि की उपलब्धता के संबंध में समुचित परीक्षण कर जिला स्तर पर पशुपालन विभाग एवं जिला कलेक्टर से लिखित सहमति तथा अभिप्रमाणीकरण प्राप्त किया जाये एवं इसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा, इस पर मत दें और प्रकरण सेक को पुनः परीक्षण हेतु अग्रेषित किया गया है ।

प्रकरण आज दिनांक 08/04/23 को समिति के समक्ष रखा गया और प्रकरण के अवलोकन उपरांत समिति ने पाया कि सिया की 768वीं बैठक दिनांक 31/01/23 में लिए गए निर्णय अनुसार "***खदान क्षेत्र के समीप स्थित गौशाला एवं गोचर भूमि के संरक्षण हेतु आपित्तयों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा शासकीय भूमि पर चारागाह विकास एवं गौशाला निर्माण हेतु राशि की उपलब्धता के संबंध में समुचित परीक्षण कर जिला स्तर पर पशुपालन विभाग एवं जिला कलेक्टर से लिखित सहमति तथा अभिप्रमाणीकरण प्राप्त किया जाये एवं इसका व्यवहारिक अनुपालन कैसे किया जायेगा, इस पर मत दें***" के संदर्भ में कलेक्टर, जिला आगर मालवा से आज दिनांक तक जानकारी अप्राप्त है ।

आज दिनांक 03/01/23 को परियोजना प्रस्तावक की ओर से उनके अधिकृत प्रतिनिधि श्री बंसत जाधव (ऑन लाईन) और उनकी ओर पर्यावरण सलाहकार श्री उमेश मिश्रा, मेसर्स क्रिएटिव इंवायरो सर्विसेस, भोपाल उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान उन्होने बताया कि उनको ए.डी.एस./ई.डी.एस. इस प्रकरण में जारी नही हुआ है अतः वे ऑन लाईन जानकारी प्रस्तुत नही कर सके इस कारण उत्तर सेक को ई—मेल के माध्यम से भेजा गया है । प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि सिया से प्राप्त निर्देशानुसार उन्होन कलेक्टर नीमच से संपर्क किया जिन्होने उनको तहसीलदार के पास प्रस्ताव पर कंसेंट हेतु संपर्क करने को कहा तहसीलदार ने पत्र क्रमांक 4217 दिनांक 15/03/23 के माध्यम से अवगत कराया है कि वे मेसर्स अपर्ण इंटरप्राइजेज को समय समय पर मार्गदर्शन देते रहेगे तथा सामाजिक पर्यावरण एवं पशुपालन में सहयोग हेतु विभाग अपनी सहमति प्रदान करता है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि उनके द्वारा श्री माधव गौशाला, आगर से भी अनापत्ति प्राप्त किया गया है । समिति ने प्रकरण का अवलोकन किया तथा पाया कि परियोजना प्रस्तावक ने तहसीलदार के पत्र क्रमांक 4217 दिनांक 15/03/23 के विभाग की सहमति प्राप्त की है किंतु उनको सिया द्वारा चाही गई पशुपालन विभाग एवं जिला कलेक्टर से लिखित सहमति अभी प्राप्त नही हुई है चूंकि प्रकरण काफी समय से लंबित है अतः प्रकरण सिया को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जाये ।

28. <u>Case No 8399/2021 Shri Vinay Rathore, Village - Prithvipur, Tehsil & Dist. Niwari, MP Prior Environment Clearance for Stone Quarry in an area of 4.0 ha. (40000 cum per annum) (Khasra No. 42), Village - Magrai, Tehsil - Mohangarh, Dist. Tikamgarh (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site at (Khasra No. 42), Village - Magrai, Tehsil - Mohangarh, Dist. Tikamgarh (MP) 4.0 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) की बैठक क्रमांक 494वीं दिनांक 31/03/2021 में टॉर (TOR) की अनुशंसा की गई थी । राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, भोपाल द्वारा परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत ई.आई.ए. रिपोर्ट राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एसईएसी) को ऑन लाईन प्रेषित की गई है।

प्रकरण सेक की 619वीं बैठक दिनांक 12/01/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री विनय राठौर (ऑनलाईन) और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि आवंटित खदान पहाड़ी क्षेत्र में आवंटित है जिसमे पूर्व से एक क्रेशर स्थापित है तथा आवंटित खनन् क्षेत्र के दक्षिण–पूर्वी दिशा में 1.0 किलोमीटर पर नदी, पूर्वी दिशा में 300 मीटर पर कच्चा रास्ता तथा 70 मीटर पर जल रोकने की संरचना है । इसी प्रकार पूर्व दिशा में 70 मीटर पर कुछ शेड बने है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खनन् क्षेत्र में पूर्व से स्थापित क्रेशर प्लांट के उपयोग हेतु बनाये गये अस्थायी शेड है जो वर्तमान में उपयोग में नही है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान में पूर्व से स्थापित क्रेशर का उपयोग उनके द्वारा नही किया जायेगा तथा उसे स्क्रेप किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के दक्षिण भाग से होकर एक मौसमी नाला निकल रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नाले से 50 मीटर का सेटवेक प्रस्तुतीकरण में प्रस्तावित किया गया है तथा सेटवेक छोड़ने के बाद लगभग 2.75 हे. क्षेत्र खनन् हेतु उपलब्ध होगा जो स्वीकृत मात्रा हेतु पर्याप्त है तथा इसके संरक्षण हेतु गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किए गए है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि इस खदान की जनसुनवाई के दौरान गांव के लोगो द्वारा स्कूल एवं पंचायत भवन में मरम्मत, गांव में पेयजल हेतु हेंड पंप, बच्चो का स्वास्थ्य परीक्षण, रोड़ का रख–रखाव एवं वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए थे, जिनको उनके द्वारा ई.एम.पी./सी.ई.आर. में शामिल किया गया। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि खनन् हेतु ब्लास्टिंग निर्धारित समय पर की जावेगी तथा खनिज परिवहन के दौरान लगातार सड़क पर लगातार जल छिड़काव किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार निम्नानुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है :–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 40,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।

2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 16.11 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 06.40 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.10 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :—

सी.ई.आर मद में प्रस्तावित गतिविधियॉ	राशि (रु. में)
ग्राम पंचायत जगत नगर में सबमर्सिबल के साथ एक हैण्ड पम्प उपलब्ध्‍ा कराया जायेगा।	60,000 / —
पंचायत भवन और ऑगनवाडी केन्द्र की मरम्मत का कार्य कराया जायेगा।	30,000 / —
स्वास्थ्य विभाग से मिलकर बच्चों का स्वास्थ्य परिक्षण कराया जायेगा।	20,000 / —
योग	1,10,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख—रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :—

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन में	सिस्सू, नीम, पीपल, खमेर, चिरौल, कंरज, अन्य स्थानीय प्रजातियां ।	1200
2	परिवहन मार्ग में (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, सिस्सू, बरगद, कदम, अन्य स्थानीय प्रजातियाँ ।	300
3	ग्राम मियावो के शासकीय विद्यालय में वितरण हेतु	कदम्ब, अमलतास, पुंत्रजीवा सीताअशोक, नीम, मौलश्री कचनार गुलमोहर, इत्यादि।	20
4	वन विभाग के सहयोग से वन भूमि पर वृक्षारोपण किया जायेगा।	चिरौल, इमली, सीताफल, आंवला, नींबू, बेल, आम, व अन्य स्थानीय प्रजातियां	3280
		कुल	4800

सिया की 769वीं बैठक दिनांक 01/02/23 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लांन के अक्षांश—देशांश अनुसार प्रस्तावित खदान के दक्षिण पूर्व दिशा में 70 मीटर पर जल रोकने की संरचना परिलक्षित है । मान्नीय एनजीटी के ओए नं. 304/2019 एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देश अनुसार खनन् प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम् दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम् 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है, जिसके परिपालन में जल रोकने वाली संरचना से

निर्धारित दूरी 200 मीटर छोड़ने के पश्चात् खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध हो रहा है । अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को अग्रेषित किया जाये ।

प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 08/04/23 को रखा गया । समिति ने पाया कि सेक की 619वीं बैठक दिनांक 12/01/23 में सभी पर्यावरणीय संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का परीक्षण किया गया था, जिसके कार्यवाही विवरण में उल्लेखित है :–

''प्रस्तुतीकरण के दौरान यह पाया गया कि आवंटित खदान पहाड़ी क्षेत्र में आवंटित है जिसमे पूर्व से एक क्रेशर स्थापित है तथा आवंटित खनन् क्षेत्र के दक्षिण–पूर्वी दिशा में 1.0 किलोमीटर पर नदी, पूर्वी दिशा में 300 मीटर पर कच्चा रास्ता तथा 70 मीटर पर जल रोकने की संरचना है । इसी प्रकार पूर्व दिशा में 70 मीटर पर कुछ शेड बने है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह खनन् क्षेत्र में पूर्व से स्थापित क्रेशर प्लांट के उपयोग हेतु बनाये गये अस्थायी शेड है जो वर्तमान में उपयोग में नही है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान में पूर्व से स्थापित क्रेशर का उपयोग उनके द्वारा नही किया जायेगा तथा उसे स्क्रेप किया जायेगा। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के दक्षिण भाग से होकर एक मौसमी नाला निकल रहा है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि नाले से 50 मीटर का सेटवेक प्रस्तुतीकरण में प्रस्तावित किया गया है तथा सेटवेक छोड़ने के बाद लगभग 2.75 हे. क्षेत्र खनन् हेतु उपलब्ध होगा जो स्वीकृत मात्रा हेतु पर्याप्त है तथा इसके संरक्षण हेतु गारलेन ड्रेन एवं सेटलिंग टैंक प्रस्तावित किए गए है'' ।

समिति ने पाया कि सेक की 619वीं बैठक दिनांक 12/01/23 में उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर ही समिति ने पर्यावरणीय अभिस्वीकृति द्वारा अनुशंसा की गई थी, अतः समिति द्वारा बैठक क्रमांक 619वीं बैठक दिनांक 12/01/23 में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

29. Case No 9535/2022 M/s Bedika Construction Company, Partner, Shri Jay Kumar Jain, R/o Tilak Ward, Tehsil-Deori, District-Sagar (MP)-440013 Prior Environment Clearance for Katangi Stone Quarry in an area of 4.00 ha. (42000 Cum per annum) (Khasra No. 72), Village-Katangi, Tehsil-Deori, District-Sagar (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 72), Village-Katangi, Tehsil-Deori, District-Sagar (MP) 4.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की पूर्व 619वीं बैठक दिनांक 12/01/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री जय कुमार जैन और और उनकी ओर से पर्यावरणीय सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., लखनऊ, उ.प्र. उपस्थित हुए । प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 2010 दिनांक 29/11/2022 अनुसार प्रस्तावित

खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नही होने की जानकारी दी गई है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार आवंटित खदान के पश्चिम दिशा में 415 मीटर पर आबादी, 680 मीटर पर राष्ट्रीय राजमार्ग तथा उत्तर–पश्चिम दिशा में 200 मीटर पर तालाब है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि तालाब के संरक्षण हेतु गारलेंड ड्रेन एवं सेटलिंग टेंक प्रस्तावित किये गये है। प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के पूर्व दिशा में एक खदान दिख रही है जिसका उल्लेख एकल–प्रमाण पत्र में नही है तत्संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा जिला सागर ने पत्र क्रमांक 2010 दिनांक 29/11/22 के माध्यम से यह सूचित किया है कि इस खसरे के पास पूर्व में रोड़ निर्माण कंपनी को अस्थायी अनुज्ञा स्वीकृत की गई थी तथा वर्तमान में कोई अन्य खदान स्वीकृत नही है । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला सागर के पत्र क्रमांक 2011 दिनांक 29/11/22 के द्वारा सूचित किया गया है कि भविष्य में जो जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (DSR) अद्यतन की जावेगी, उसमें उक्त उत्खनन् पट्टा को सम्मिलित कर लिया जायेगा । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 42,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 14.09 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 07.32 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.80 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
ग्राम कटंगी के लिए वर्ष में दो बार स्वास्थ्य शिविरों की व्यवस्था	20,000
ग्राम कटंगी के प्राथमिक विद्यायल में एक नग कम्प्यूटर व ए नग प्रिंटर का वितरण किया जायेगा ।	60,000
योग	80,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, चिरोल, आंवला सीताफल, करंज एवं अन्य स्थानीय प्रजातिया	1500
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॉ	200
3	कटंगी ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, मुनगा, आम, अमरूद।	3070
4	प्राथमिक शासकीय विद्यायल कटंगी में	कदंब, अमलतास, पुत्रंरजीवा, मौलश्री, अशोक, नीम, गुलमोहर।	30
		कुल	4800

सिया की 769वीं बैठक दिनांक 01/02/23 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत कार्यालय कलेक्ट (खनिज शाखा) जिला सागर के एकल प्रमाण पत्र क्रमांक 2010 दिनांक 29/11/22 अनुसार 500 मीटर की परिधि में कोई खदान स्वीकृत / संचालित नहीं होना बताया गया है जबकि माईनिंग प्लांन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अन्य खदान परिलक्षित हो रही है । अतः प्रकरण में कलेक्टर, सागर से प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत / संचालित खदानों की स्पष्ट जानकारी 15 दिवस में सीधे सेक को प्रेषित की जाये और प्रकरण सेक को भेजा गया है ।

प्रकरण आज दिनांक 08/04/23 को समिति के समक्ष रखा गया, जिसमें समिति ने पाया कि दिनांक 16/03/23 को उक्त जानकारी कार्यालय कलेक्टर, सागर की जानकारी ई–मेल से प्राप्त हुई, जिसके अनुसार प्रभारी खनिज अधिकारी, जिला सागर ने पत्र क्रमांक 333 दिनांक 17/02/23 के माध्यम से सूचित किया है कि ग्राम कटंगी तहसील देवरी के खसरा नं0 72 रकबा 04.00 हे. क्षेत्र के आसपास पूर्व में रोड़ निर्माण कम्पनी को अस्थाई उत्खनन् अनुज्ञा स्वीकृत की गई थी । उक्त स्वीकृत क्षेत्र के आसपास पूर्व में स्वीकृत अस्थाई उत्खनन् अनुज्ञा के गढ़ढे हैं । वर्तमान में उक्त स्वीकृत क्षेत्र के आसपास 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत नही है । समिति ने पाया कि प्रश्नाधीन खदान का रकबा 04.00 हे एवं प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित नही होने के कारण प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है। अतः समिति द्वारा 619वीं बैठक दिनांक 12/01/23 में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

30. Case No 9545/2022 Shri Tilokchand Malviya, Owner, Village-Chachariyapati, Tehsil-Sendhwa, District-Barwani (MP)-451551 Prior Environment Clearance for Chachariyapati Stone Quarry in an area of 1.00 ha. (10000 Cum per annum) (Khasra No. 11/6/3/1/1), Village- Chachariyapati, Tehsil-Sendhwa, District-Barwani (MP)

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 11/6/3/1/1), Village- Chachariyapati, Tehsil-Sendhwa, District-Barwani (MP) 1.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक पूर्व बैठक 619वीं बैठक दिनांक 12/01/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री त्रिलोक चंद्र मालवीय और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री शिरीश देउलकर, मेसर्स ग्लोबल मैनेजमेंट एवं इंजीनियरिंग कंसल्टेंट इंटरनेशनल, जयपुर उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1330 दिनांक 15/12/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 01 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से कम है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार आवंटित खदान के पूर्व दिशा में 110 मीटर पर कच्चा रास्ता, पूर्व दिशा में 300 मीटर पर पक्का रास्ता, पश्चिम् दिशा में 90 मीटर पर मौसमी नाला तथा 320 मीटर पर आबादी एवं पश्चिम दिशा में 145 मीटर पर आबादी हैं, जिसके संदर्भ में परियेाजना प्रस्तावक ने बताया कि अनुमोदित खनन् योजना अनुसार इस प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है तथा खनन् कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जायेगा । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि दक्षिण पूर्व दिशा में 15 मीटर पर मकान स्थित है, जिसके संदर्भ में परियेाजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के पास स्थापित एक क्रेशर का यह साइट आफिस व शेड है । आवंटित खनन् क्षेत्र का उत्तरी भाग खुदा हुआ, जिसके संदर्भ में परियेाजना प्रस्तावक ने बताया कि हमको खदान इसी स्थिति में प्राप्त हुई है तथा पिट सरफेस मेप पर दिखाया गया । कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला बड़वानी के पत्र क्रमांक 1330 दिनांक 15/12/22 के द्वारा सूचित किया गया है कि उक्त उत्खनिपट्टा 10 वर्ष की अवधि हेतु संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, भोपाल द्वारा सैद्धांति सहमति पत्र क्रमांक 16077–16078 दिनांक 24/11/22 के द्वारा जारी की गई है। डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट सिया के पत्र दिनांक 07/11/22 के द्वारा अनुमोदन होकर इस कार्यालय को प्राप्त हुई है । उक्त उत्खनिपट्टा का संपूर्ण पूर्ण न होने से डिस्ट्रिक सर्वे रिपोर्ट में अद्यतन नहीं की गई है । संपूर्ण प्रकिया पूर्ण होने के उपरांत आगामी सर्वेक्षण रिपोर्ट में उक्त खदान को सम्मिलित कर ली जावेगी । समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी

संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 10,000 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 04.15 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.58 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.25 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
शासकीय प्राथमिक शाला चचरिया पाटी में 5 कुर्सिया की व्यवस्था	5,000
चचरिया पाटी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आवश्यकतानुसार सामग्री का वितरण	20,000
योग	25,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1000 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

कं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा(संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	नीम, खमेर, सिरस, चिरोल, करंज, बबूल, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	100
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	खमेर, चिरोल, करंज, बीजा, जंगल जलेबी, कदम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
3	गैर खनन क्षेत्र	खमेर, चिरोल, करंज, महुआ, सेजा, बीजा एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
4	ग्रामवासियो में वितरण हेतु) ग्राम पंचायत चाचरिया पाटी)	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, बहेरा, बेल एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	150
5	ग्राम पंचायत के सहयोग से ग्राम पंचायत चाचरिया पाटी के चिन्हित क्षेत्र में	नीम, आम, कटहल, बेर, आँवला, हर्रा, महुआ, कबीट, नींबू, अचार एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	150
6	ग्राम पंचायत चाचरिया पाटी के प्राथमिक शाला, आंगनवाड़ी एवं ग्राम पंचायत परिसर में	कदम, नीम, खमेर, अशोक, सिस्सू. एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	200
		कुल	1000

सिया की 770वीं बैठक दिनांक 02/02/23 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लांन के अक्षांश–देशांश अनुसार प्रस्तावित खदान के दक्षिण पूर्व दिशा में 15 मीटर पर मकान स्थित होना बताया गया है जबकि गूगल इमेज अनुसार खदान के पश्चिम एवं उत्तर दिशा में भी कुछ मकान होना परिलक्षित है । मान्नीय एनजीटी के ओए नं. 304/2019 एवं सीपीसीबी के दिशा निर्देश अनुसार खनन् प्रक्रिया में नॉन ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम् दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग के लिए न्यूनतम् 200 मीटर की दूरी के स्थानवार मापदण्ड तय है, जिसके परिपालन में बसाहट से निर्धारित दूरी 200 मीटर छोड़ने के पश्चात् खनन् योग्य क्षेत्र उपलब्ध हो रहा है । अतः प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को अग्रेषित किया जाये ।

प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 08/04/23 को रखा गया । समिति ने पाया कि सेक की 619वीं बैठक दिनांक 12/01/23 में सभी पर्यावरणीय संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का परीक्षण किया गया था, जिसके कार्यवाही विवरण में उल्लेखित है :–

''आवंटित खदान के पूर्व दिशा में 110 मीटर पर कच्चा रास्ता, पूर्व दिशा में 300 मीटर पर पक्का रास्ता, पश्चिम् दिशा में 90 मीटर पर मौसमी नाला तथा 320 मीटर पर आबादी एवं पश्चिम दिशा में 145 मीटर पर आबादी हैं, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि अनुमोदित खनन् योजना अनुसार इस प्रकरण में ब्लास्टिंग प्रस्तावित नहीं है तथा खनन् कार्य रॉक ब्रेकर के माध्यम से किया जायेगा । प्रस्तुतीकरण के दौरान पाया गया कि दक्षिण पूर्व दिशा में 15 मीटर पर मकान स्थित है, जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के पास स्थापित एक क्रेशर का यह साइट आफिस व शेड है'' ।

समिति ने पाया कि सेक की 619वीं बैठक दिनांक 12/01/23 में उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर ही समिति ने पर्यावरणीय अभिस्वीकृति द्वारा अनुशंसा की गई थी, अतः समिति द्वारा बैठक क्रमांक 619वीं बैठक दिनांक 12/01/23 में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

31. <u>Case No 9554/2022 Shri Harish Mevafarosh, R/o A-2/225, Rajya Karmchari Awash Colony, Pant Nagar, Mahalgaon, District-Gwalior (MP)-474002 Prior Environment Clearance for Supawali Stone Quarry in an area of 1.387 ha. (25725 Cum per annum) (Khasra No. 6/3), Village-Supawali, Tehsil-Murar, District-Gwalior (MP)</u>

This is case of Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 6/3), Village-Supawali, Tehsil-Murar, District-Gwalior (MP) 1.387 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की पूर्व 620वीं बैठक दिनांक 13/01/23 को प्रस्तुत हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री संजय चौवे और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री अमर सिंह यादव, मेसर्स एसीरिज

इंवायरोटेक इंडिया प्रा.लि., नोयडा, उ.प्र. उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 12010 दिनांक 21/11/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, तथा कुल रकबा 5.0 हे. से कम है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार आवंटित खदान के उत्तर दिशा में 215 मीटर पर आबादी, पक्का रोड उत्तर दिशा में 265 मीटर तथा दक्षिण दिशा में 365 मीटर एवं एक शेड़ 450 मीटर पर है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट के पेज नं–52 के सरल क्रमांक–163 पर दर्ज है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती है:–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता स्टोन – 25,725 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 09.40 लाख एवं रिक्रिंग राशि रू. 04.70 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 0.70 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 01 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
सुपवाली ग्राम के प्राथमिक विद्यालय व आंगनवाड़ी में बच्चों के लिए बैग, बॉटल, शूज और मोजों का वितरण किया जायेगा ।	70,000

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 1665 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्र.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॅा	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	शीशम, नीम, पीपल, बरगद, खमेर, चिरोल, सीताफल, करंज एव ंअन्य स्थानीय प्रजातिया	450
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊॅचाई 01 मीटर)	नीम, पीपल, सेमल, चिरौल, करंज, एवं अन्य स्थानीय प्रजातियॅा	150
3	सुपवाली ग्रामवासियों में वितरण हेतु	बेल, इमली, आंवला, कटहल, आम, अमरूद।	1045
4	शासकीय विद्यायल सुपवाली में	कदंब, अमलतास, पुत्रंरजीवा, मौलश्री, अशोक, नीम,गुलमोहर।	20

5	चारागाह के विकास हेतु	चारागाह हेतु फोडर ट्रीज ग्राम पांचयत के माध्यम से लगाया जायेगा। जिसकी लागत ई.एम.पी. में दिया गया है।
	कुल	1665

प्रकरण में सिया की 770वीं बैठक दिनांक 02/02/23 को कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 12010 दिनांक 21/11/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत / संचालित होना की जानकारी दी गई, जिनका कुल रकबा 5.0 हे. से कम होना बताया गया है । परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लांन के अक्षांश–देशांश अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 से अधिक खदाने होना परिलक्षित है, जिससे कलस्टर की स्थिति निर्मित होने से प्रकरण बी–1 श्रेणी में होना प्रतीत होता है । अतः उपरोक्त संवेदन शीलता के दृष्टिगत प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु सेक को अग्रेषित किया जाये ।

प्रकरण को आज दिनांक 18/03/23 को समिति के समक्षा रखा गया । समिति ने उपरोक्त तथ्यों अवलोकन कर निर्णय लिया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 12010 दिनांक 21/11/2022 में प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत / संचालित होना की जानकारी दी गई जबकि परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लांन के अक्षांश–देशांश अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 से अधिक खदाने होना परिलक्षित है । अतः उपरोक्त के संदर्भ में कार्यालय कलेक्टर, जिला ग्वालियर से प्रस्तावित खदान का स्थल निरीक्षण कर 500 मीटर की परिधि में कार्यरत खदानों की वास्तविक खदानों की जानकारी प्राप्त करने हेतु पत्र लिखा जाये और उक्त जानकारी परिवेश पोर्टल अपलोड करने हेतु परियोजना प्रस्तावक को एडीएस जारी किया जाये ।

प्रकरण को समिति के समक्ष आज दिनांक 08/04/23 को रखा गया । समिति ने पाया कि सेक की 620वीं बैठक दिनांक 13/01/23 में 500 मीटर की परिधि में कार्यरत खदानों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण का परीक्षण किया गया था, जिसके कार्यवाही विवरण में उल्लेखित है :–

''कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 12010 दिनांक 21/11/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी दी गई है, तथा कुल रकबा 5.0 हे. से कम है अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है''।

समिति ने पुनः प्रकरण की ऑनलाईन अपलोडिड गूगल इमेज का आवलोकन किया तथा पाया कि प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में 02 ही खदाने दृष्टिगत है जिनका उल्लेख कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) द्वारा जारी पत्र क्रमांक 12010 दिनांक 21/11/2022 में किया गया है। समिति ने पाया कि सेक की 620वीं बैठक दिनांक 13/01/23 में उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर ही समिति ने पर्यावरणीय अभिस्वीकृति द्वारा अनुशंसा की गई थी, अतः समिति द्वारा बैठक क्रमांक 620वीं बैठक दिनांक 13/01/23 में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया।

32. Case No 9551/2022 M/s Anil Construction Company, Partner Shri Pavan Kumar Jain, R/o Jain Sadan, Mahal Road, Krishnapuram Colony, District-Shivpuri (MP)-473551 Prior Environment Clearance for Parichchha Ahir Gitty Stone Quarry & M-Sand in an area of 4.00 ha. Capacity 53900 Cum per annum (Gitti – 48,400 m3/Year and M-Sand 5,500 m3/Year) (Khasra No. 1483), Village-Parichchha Ahir, Tehsil-Pohri, District-Shivpuri (MP)

This is case of Gitty & M-Sand Stone Quarry. The application was forwarded by SEIAA to SEAC for appraisal. The proposed site (Khasra No. 1483 (P)), Village-Parichchha Ahir, Tehsil-Pohri, District-Shivpuri (MP) 4.00 Ha. The project requires prior EC before commencement of any activity at site.

प्रकरण सेक की पूर्व 620वीं बैठक दिनांक 13/01/23 को प्रस्तुतीकरण हुआ था, जिसमें परियोजना प्रस्तावक श्री पवन कुमार जैन और उनकी ओर से पर्यावरण सलाहकार श्री संचित कुमार, मेसर्स कॉग्नीजेंस रिसर्च इंडिया (प्रा. लि.) नोयडा उपस्थित हुए। प्रकरण में परीक्षण में पाय गया कि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1666 दिनांक 06/12/2022 अनुसार प्रस्तावित खदान के 500 मीटर की परिधि में कोई अन्य खदान स्वीकृत/संचालित होने की जानकारी नही दी गई है, अतः प्रश्नाधीन प्रकरण बी–2 श्रेणी के अंतर्गत आता है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा माइन प्लॉन के अक्षांश–देशांश के आधार पर गूगल इमेज अनुसार अनुसार आवंटित खदान के दक्षिण दिशा में 510 मीटर पर आबादी, दक्षिण–पश्चिम दिशा में 185 मीटर पर पक्का रोड़ तथा उत्तर दिशा में 60 मीटर एवं पश्चिम दिशा में 295 मीटर पर मौसमी नाला है । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि मौसमी नाले के सरंक्षण हेतु गारलेंड ड्रेन व सेटलिग टेंक प्रस्तावित किये गये है प्रकरण के प्रस्तुतीकरण के समय पाया गया कि आवंटित खनन् क्षेत्र के उत्तर–पूर्व दिशा में 415 मीटर पर एक पुराना पिट स्थित है जिसके संदर्भ में परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि यह बहुत पुराना पिट है तथा पुरानी गूगल इमेज अनुसार 2011 से वहां पर मोजूद है तथा इसकी आवधि समाप्त हो गई है। परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि एम–सेंड प्लान व्ही.एस.के. तकनीकी पर आधारित है जिसमें वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु बेग फिल्टर तथा जल प्रदूषण नियंत्रण हेतु दूषित जल का सेटलिंग के पश्चात् पुर्नउपयोग किया जायेगा । सेटलिंग टेंक से उत्पन्न स्लज का अपवहन सूखने के पश्चात् खनन् क्षेत्र में किया जायेगा । परियोजना प्रस्तावक ने बताया कि इस खदान का विवरण जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट Collector Office Letter (Ekal Praman Patra) No. 1666 date 06/1222 के अनुसार उक्त खदान नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट मे जोड़ी जावेगी। समिति ने चर्चा उपरांत निर्णय लिया कि राज्य स्तरीय स्तरीय पर्यावरण समाघॉत निर्धारण प्राधिकारण मध्यप्रदेश की 739वीं बैठक दिनांक 29/07/22 (प्रकरण में 9261/2022 – जारी पत्र क्रमांक 1306 दिनांक 04/08/22) में लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में इस प्रकरण को भी पर्यावरणीय संवेदनशीलता के दृष्टिगत परीक्षण कर पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु सिया को अनुशंसित किया जाये । परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण प्रबंधन योजना एवं अन्य प्रस्तुत की गई जानकारी संतोषजनक एवं स्वीकार्य योग्य होने से समिति द्वारा विशिष्ट शर्तो एवं स्टेण्डर्ड शर्तो संलग्नक–ए अनुसार पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति जारी करने की अनुशंसा करती हैः–

1. अनुमोदित खनन् योजना अनुसार अधिकतम् उत्पादन क्षमता गिट्टी – 48,400 मी^{3} प्रति वर्ष एम–सेंड – 5500 मी^{3} प्रति वर्ष ।
2. पर्यावरण प्रबंधन योजना मद में केपीटल राशि रू. 14.53 लाख एवं रिकरिंग राशि रू. 01.45 लाख प्रति वर्ष ।
3. सी.ई.आर मद में निम्नानुसार राशि रू. 01.05 लाख तथा सी.ई.आर. में प्रस्तावित सभी कार्य आगामी 02 वर्ष में पूर्ण किये जाये :–

सी.ई.आर. मद में प्रस्तावित गतिविधि	राशि रू. में
परिच्छाअहिर शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय में 45 टेबल–चेयर का सेट दिया जाएगा।	1,05,00

4. निम्नानुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम अनुसार (सतत् सिंचाई, 5 वर्ष तक मृत पौधों का बदलाव तथा खनन अवधि तक रख–रखाव के साथ) कम से कम 4800 वृक्षों का वृक्षारोपण :–

क्रं.	प्रस्तावित वृक्षारोपण के लिए नियत स्थान	पौधों की प्रजातियॉ	मात्रा (संख्या में)
1	बैरियर जोन मे	चिरोल , नीम , जंगल जलेबी , सीताफल, खमेर एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां	1400
2	परिवहन मार्ग (न्यूनतम ऊँचाई 01 मीटर)	**करंज, कदम , चिरोल, जंगल जलेबी , एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां**	6000
3	ग्रामवासियों में वितरण हेतु	**सीताफल, आवलाँ,अमरुद, मुनगा, पपीता ,निम्बू, आम एवं अन्य स्थानीय प्रजातियां**	2800
		कुल	4800

प्रकरण में सिया की 770वीं बैठक दिनांक 02/02/23 को परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित माईनिंग प्लान के अक्षांश–देशांश अनुसार प्रस्तावित खदान में एवं आसपास कंटूर ट्रेंचेज होना परिलक्षित है, जो कि संभवतः ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जलग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत किया गया कार्य होगा । जल संरक्षण हेतु यह एक महत्वपूर्ण कार्य है, क्या ऐसी स्थिति में यहां खनन् अनुमति देना उचित होगा ।

प्रकरण को आज दिनांक 08/04/23 को समिति के समक्षा रखा गया । समिति ने पुनः प्रकरण के साथ ऑन लाईन अपलोडिड गूगल इमेज का अवलोकन किया तथा पाया कि आवंटित खनन् क्षेत्र तथा मिनरल इवेक्यूऐशन रूट में कोई कंटूर ट्रेंचेज नही है यद्पि प्रस्तावित खदान के आसपास कंटूर ट्रेंचेज दृष्टिगत है । समिति ने पाया कि यह अस्थायी अनुज्ञा शासकीय भूमि पर कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) पत्र क्रमांक 1597 दिनांक 28/11/2022 के द्वारा शासकीय सड़क निर्माण हेतु आवंटित है । समिति ने यह भी पाया कि प्रकरण के साथ ऑन लाईन अपलोडिड ठहराव प्रस्ताव में भी ग्राम पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की गई है। समिति का मत है कि पूर्व में भी इस प्रकार के कई प्रकरणों को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु इस मंशा से अनुशंसित किया गया है कि खनन् के पश्चात् जो मांइड आऊट पिट बनेगा वह आस–पास के क्षेत्र के ग्राऊंड वाटर रिचार्ज का कार्य करेगा । समिति ने पाया कि सेक की 620वीं बैठक दिनांक 13/01/23 में उपरोक्त तथ्यों पर विचार कर ही समिति ने पर्यावरणीय अभिस्वीकृति द्वारा अनुशंसा की गई थी, अतः

समिति द्वारा बैठक क्रमांक 620वीं बैठक दिनांक 13/01/23 में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु की गई अनुशंसा को यथावत रखते हुए प्रकरण सिया को प्रेषित किये जाने का निर्णय लिया गया ।

33. अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषयों पर चर्चा

अ. पूर्व में सेक की 624वी बैठक दिनांक 26/02/23 में निम्नानुसार अनुशंसा नीतिगत निर्णय हेतु सिया की ओर प्रेषित की गई थी :—

*मान्नीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओए नं. 142/2022 में पारित आदेश दिनांक 07/12/2022 के अनुक्रम में सिया की 766वीं बैठक दिनांक 11/01/2023 में लिए गए नीतिगत निर्णय के परिप्रेक्ष्य में डिया से पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कई प्रकरण पुनः परीक्षण (**Re-Visit**) हेतु प्राप्त होना संभावित है । आज की बैठक के दौरान एक प्रकरण (**Case No 9670/2023**) का अवलोकन हो, जिसमें परियोजना प्रस्तावक ने उत्पादन क्षमता बढाकर क्षमता विस्तार के प्रकरण के स्थान पर नवीन आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें परियोजन प्रस्तावक का मानना था कि चूकिं उनका प्रकरण निरस्त किया जा चुका है अतः उनके द्वारा नवीन आवेदन किया गया है परन्तु **Committee** का मत है कि यह प्रकरण निरस्त नही हुआ है बल्कि **Re-list** का है **NGT** के निर्णय अनुसार अतः ऐसे प्रकरणो पर निम्न प्रकार की स्थितियां निर्मित होती हैः—*

*(1) **Re-appraisal (NGT** के निर्देशनुसार **Re-appriasal** होना है न कि **Re-visit** जैसा दिनांक 11/01/23 के कार्यवाही विवरण में उल्लेखित है)*

*(2) **Fresh Case***

*(3) **Expansion (**जहां **lease area** बढा हो या **production capacity** बढी है)*

(4) कुछ प्रकरण ऐसे होगे जिसमें पूर्व में क्षेत्र 25 हे. से कम होने कारण क्लास्टर न मानते हुए, बी–2 श्रेणी में उनका एप्राइज किया गया था जबकि वर्तमान परिप्रेक्ष्य में 5.0 हे. से अधिक क्षेत्रफल वाले प्रकरण बी–1 की श्रेणी में एप्राइज किये जाने है । इस स्थित में क्या श्रेणी बी–2 होगी या बी–1 होगी इस पर निर्णय।

(5) क्या वृक्षारोपण/सीईआर में स्थल विशेष की पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए नयी शर्ते परियोजना प्रस्तावक पर अधिरोपित की जा सकती है जैसे : पूर्व में वृक्षारोपण हेतु कोई मापदण्ड निर्धारित नहीं थे जबकि वर्तमान में प्रति हेक्टेयर 1000 पौधें लगाने की शर्त अधिरोपित की जा रही है आदि–आदि ।

*(6) क्या **Re-list** के प्रकरणों में **MoEF/CC** का पालन प्रतिवेदन प्राप्त की जाये अथवा परियोजना प्रस्तावकों द्वारा 6 माही पालन प्रवितेदन के आधार पर निर्णय लिया जाये । किन्तु क्षमता विस्तार के प्रकरणों में **MoEF/CC** से पालन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है, चाहे परियोजना प्रस्तावक हो या खदन स्थानांतरित/अवधि समाप्त होने के पश्चात् नये आवेदन को प्राप्त हुई हो ।*

अतः ऐसे प्रकरणों में जिसमें खनन् का क्षेत्र एवं उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन न हो में नवीन आवेदन तथा ऐसे प्रकरण जिनमें उत्पादन की मात्रा बढ़ाई गई हो या प्लांट कांफीगेशन में परिवर्तन किया गया हो (जैसे : नवीन आवेदन में एम–सेंड प्लांट की स्थापना प्रस्तावित हो) क्षमता विस्तार हेतु आवेदन किया जाना चाहिए । इसी प्रकार स्थल विशेष की परिस्थितिकीय को ध्यान में रखते हुए नई शर्ते स्थापित की जानी चाहिए । आशय है कि ***Re-list*** *हेतु एक मार्गदर्शी बिंदु चिन्हित किये जाने चाहिए ।*

अतः समिति का मत है कि इस स्थिति में नीतिगत निर्णय सिया द्वारा लिया जाये ताकि उसी आधार पर आवेदक ऑनलाईन आवेदन प्रस्तुत करें व उनका परीक्षण सेक द्वारा किया जा सके, क्योंकि डिया से संबंधित ऐसे कई आवेदन / प्रकरण आगामी समय में मान्नीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओए नं. 142/2022 में पारित आदेश दिनांक 07/12/2022 के अनुक्रम में तथा सिया की 766वीं बैठक दिनांक 11/01/2023 में लिए गए नीतिगत निर्णय के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त होने की संभावना है ।

सेक की उपरोक्त अनुशंसा पर डिया से प्राप्त प्रकरणो पर एप्राईजल हेतु शीघ्र नीतिगत निर्णय लिये जाने का अनुरोध है । ऐसे प्रकरणों में वर्तमान में मान्नीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा दिये गये निर्देशानुसार फार्म–1 में प्राप्त जानकारी के आधार पर प्रकरणों का निराकरण किया जा रहा है ।

ब. सामान्यतः आवेदको द्वारा पर्यावरणीय अभिस्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय वर्तमान में यह स्पष्ट नही किया जा रहा कि प्रकरण में पूर्व में डिया से ई.सी. प्राप्त नही की गई है अथवा नही। अतः इस संदर्भ में समिति का यह सुझाव है कि परियोजना प्रस्तावको तथा आवेदको से पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय यह शपथ–पत्र प्राप्त किया जाये कि इस प्रकरण में पूर्व में डिया से ई.सी. प्राप्त नही की गई है । यदि की गई हो तो आवेदन के साथ डिया की ई.सी. व उसके पालन प्रतिवेदन की जानकारी भी प्रस्तुत की जाये ताकि प्रकरण के निराकरण में विलंब न हो। उपरोक्त स्थिति की अस्पष्टता के फलस्वरूप इस संभावना से इंकार नही किया जा सकता कि प्राप्त आवेदनों को नवीन प्रकरण माना जा कर एप्राईजल हो जाये । ऐसी स्थिति में माननीय न्यायालय के निर्देशो की अवहेलना की संभावना निर्मित हो सकती है ।

(चंद्र मोहन ठाकुर)
सदस्य सचिव

(डॉ. पी.सी. दुबे)
अध्यक्ष

Following standard conditions shall be applicable for the mining projects of minor mineral in addition to the specific conditions and cases appraised for grant of TOR:

Annexure- 'A'

Standard conditions applicable to Stone/Murrum and Soil quarries:

1. Mining should be carried out as per the submitted land use plan and approved mine plan. The regulations of danger zone (500 meters) prescribed by Directorate General of Mines safety shall also be complied compulsorily and necessary measures should be taken to minimize the impact on environment.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and fenced from all around the site. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded along with annual record of water consumed in sprinkling during Summer (February to May/June) and winter session (October to January) separately.
4. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
5. Mineral evacuation road shall be made pucca (WBM/black top) by PP.
6. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
7. Crusher with inbuilt APCD & water sprinkling system shall be installed minimum 100 meters away from the road and 500 meters away from the habitations only after the permissions of MP Pollution Control Board with atleast 04 meters high wind breaking wall of suitable material to avoid fugitive emissions.
8. Working height of the loading machines shall be compatible with bench configuration.
9. Slurry Mixed Explosive (SME) shall be used instead of solid cartridge.
10. The OB shall be reutilized for maintenance of road. PP shall bound to compliance the final closure plan as approved by the IBM.
11. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
12. Six monthly occupational health surveys of workers for Cardio-vascular & Pulmonary health, vital parameters as prescribed by concerned regulatory authority shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
13. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
14. To avoid vibration, no overcharging shall be carried out during blasting and muffle blasting shall be adopted. Blasting shall be carried out through certified blaster only and no explosive will be stored at mine site without permission from the competent authority.
15. Mine water should not be discharged from the lease and be used for sprinkling & plantations. For surface runoff and storm water garland drains and settling tanks (SS pattern) of suitable sizes shall be provided.
16. All garland drains shall be connected to settling tanks through settling pits and settled water shall be used for dust suppression, green belt development and beneficiation plant. Regular de-silting of drains and pits should be carried out.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area. PP shall take Socio-economic activities in the region through the 'Gram Panchayat'.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.

21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. All the mines where production is > 50,000 cum/year, PP shall develop its own website to display various mining related activities proposed in EMP & CER along with budgetary allocations. All the six monthly progress report shall also be uploads on this website along with MoEF&CC & SEIAA, MP with relevant photographs of various activities such as garland drains, settling tanks, plantation, water sprinkling arrangements, transportation & haul road etc. PP or Mine Manager shall be made responsible for its maintenance & regular updation.
24. All the soil queries, the maximum permitted depth shall not exceed 02 meters below general ground level & other provisions laid down in MoEF&CC OM No. L-11011/47/2011-IA.II(M) dated 24/06/2013.
25. The mining lease holders shall after ceasing mining operation, undertake re-grassing the mining area and any other area which may have been disturbed due to their mining activities and restore the land to a condition which is fit for growth of fodder, flora , fauna etc. Moreover, a separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
26. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEF&CCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
27. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
28. Authorization (if required) under Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 should be obtained by the PP if required.
29. A display board (in hindi) with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    a. Lease owner's Name, Contact details etc.
    b. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    c. Length, breadth, sanctioned depth of mine and mining time.
    d. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    e. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised) and Blasting or Non-blasting.
    f. Plantation and CER activities.
30. Dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
31. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out as per submitted plantation scheme and along the fencing seed sowing of Neem, Babool, Safed Castor etc shall also be carried out.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. Before onset of monsoon season as per submitted plantation scheme fruit bearing species preferably of fodder / native shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by

PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.

35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'B'
Standard conditions applicable for the Sand Mine Quarries*

1. District Authority should annually record the deposition of sand in the lease area (at an interval of 100 meters for leases 10 ha or > 10.00 ha and at an interval of 50 meters for leases < 10 ha.) before monsoon & in the last week of September and maintain the records in RL (Reduce Level) Measurement Book. Accordingly authority shall allow lease holder to excavate only the replenished quantity of sand in the subsequent year.
2. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars. Necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
3. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
4. Only registered vehicles/tractor trolleys with GPS which are having the necessary registration and permission for the aforesaid purpose under the Motor Vehicle Act and also insurance coverage for the same shall alone be used for said purpose.
5. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
6. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
7. Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometer (1Km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side, subjected to a minimum of 250 meters on the upstream side and 500 meters on the downstream side.
8. Mining depth should be restricted to 3 meters or water level, whichever is less and distance from the bank should be $1/4^{th}$ or river width and should not be less than 7.5 meters. No in-stream mining is allowed. Established water conveyance channels should not be relocated, straightened, or modified.
9. Demarcation of mining area with pillars and geo-referencing should be done prior to the start of mining.
10. PP shall carry out independent environmental audit atleast once in a year by reputed third party entity and report of such audit be placed on public domain such audits be placed on public domain through website developed for public interface along with photographs of work done w.r.t. EMP as well as CER.
11. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
12. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 and Enforcement & Monitoring Guidelines for Sand Mining, 2020 issued by the MoEF&CC ensuring that the annual replenishment of sand in the mining lease area is sufficient to sustain the mining operations at levels prescribed in the mining plan.
13. If the stream is dry, the excavation must not proceed beyond the lowest undisturbed elevation of the stream bottom, which is a function of local hydraulics, hydrology, and geomorphology.
14. After mining is complete, the edge of the pit should be graded to a 2.5:1 slope in the direction of the flow.
15. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
16. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
17. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights. All these facilities such as rest shelters, site office etc. Shall be removed from site after the expiry of the lease period.

18. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020 and these details should be provided in Annual Environmental Statement.
19. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
20. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
21. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
22. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
23. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
24. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
25. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
26. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M dated 16/01/2020.
27. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
28. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
29. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    g. Lease owner's Name, Contact details etc.
    h. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    i. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    j. Minable Potential of sand mine.
    k. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    l. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)
30. Following conditions must be implemented by PP in case of sand mining as per NGT (CZ) order dated 19/10/2020 in OA NO. 66/2020 and SEIAA's instruction vide letter No. 5084 dated 09/12/2020.
    i. The Licensee must use minimum number of poclains and it should not be more than two in the project site.
    ii. The District Administration should assess the site for Environmental impact at the end of first year to permit the continuation of the operation.
    iii. The ultimate working depth shall be 01 m from the present natural river bed level and the thickness of the sand available shall be more than 03 m the proposed quarry site.
    iv. The sand quarrying shall not be carried out blow the ground water table under any circumstances. In case, the ground water table occurs within the permitted depth at 01 meter, quarrying operation shall be stopped immediately.
    v. The sand mining should not disturb in any way the turbidity, velocity and flow pattern of the river water.
    vi. After closure of the mining, the licensee shall immediately remove all the sheds put up in the quarry and all the equipments used for operation of sand quarry. The roads/pathways shall be leveled to let the river resume its normal course without any artificial obstruction to the extent possible.
    vii. The mined out pits to be backfilled where warranted and area should be suitable landscaped to prevent environmental degradation.
    viii. PP shall adhere to the norms regarding extent and depth of quarry as per approved mining plan. The boundary of the quarry shall be properly demarcated by PP.

31. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the river banks for bank stabilization and to check soil erosion while on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
32. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
33. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
34. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh “ANKUR YOJNA” by registering individual villagers on “Vayudoot app”. Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
35. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
36. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- ‘C’

Standard conditions applicable for the Sand deposits on Agricultural Land/ Khodu Bharu Type Sand Mine Quarries*

1. Mining should be done only to the extent of reclaiming the agricultural land.
2. Only deposited sand is to be removed and no mining/digging below the ground level is allowed.
3. The mining shall be carried out strictly as per the approved mining plan.
4. The lease boundary should be clearly demarcated at site with the given co-ordinates by pillars and necessary safety signage & caution boards shall be displayed at mine site.
5. Arrangements for overhead sprinklers with solar pumps / water tankers should be provided for dust suppression at the exit of the lease area and fixed types sprinklers on the evacuation road. PP should maintain a log book wherein daily details of water sprinkling and vehicle movement are recorded.
6. The mining activity shall be done as per approved mine plan and as per the land use plan submitted by PP.
7. Transportation of material shall only be done in covered & PUC certified vehicles with required moisture to avoid fugitive emissions. Transportation of minerals shall not be carried out through forest area without permissions from the competent authority.
8. Mineral evacuation road shall be made Pucca (WBM/black top) by PP.
9. For carrying out mining in proximity to any bridge and/or embankment, appropriate safety zone on upstream as well as on downstream from the periphery of the mining site shall be ensured taking into account the structural parameters, location aspects, flow rate, etc., and no mining shall be carried out in the safety zone.
10. No Mining shall be carried out during Monsoon season.
11. The mining shall be carried out strictly as per the approved mine plan and in accordance with the Sustainable Sand Mining Management Guidelines, 2016 issued by the MoEF&CC.
12. Necessary consents shall be obtained from MPPCB and the air/water pollution control measures have to be installed as per the recommendation of MPPCB.
13. Thick plantation shall be carryout on the banks of the river adjacent to the lease, mineral evacuation road and common area in the village. PP would maintain the plants for five years including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations.

14. Appropriate activities shall be taken up for social up-liftment of the area. Funds reserved towards the same shall be utilized through Gram Panchayat/competent authority.
15. Six monthly occupational health surveys of workers shall be carryout and all the workers shall be provided with necessary PPE's. Mandatory facilities such as Rest Shelters, First Aid, Proper Fire Fighting Equipments and Toilets (separate for male & female) shall also be provided for all the mine workers and other staff. Mine's site office, rest shelters etc shall be illuminated and ventilated through solar lights.
16. A separate bank account should be maintained for all the expenses made in the EMP and CER activities by PP for financial accountability and these details should be provided in Annual Environmental Statement. In case the allocated EMP budget for mitigative measures to control the pollution is not utilized fully, the reason of under utilization of budgetary provisions for EMP should be addressed in annual return.
17. PP shall be responsible for discrepancy (if any) in the submissions made by the PP to SEAC & SEIAA.
18. The amount towards reclamation of the pit and land in MLA shall be carried out through the mining department. The appropriate amount as estimated for the activity by mining department has to be deposited with the Collector to take up the activity after the mine is exhausted.
19. NOC of Gram Panchayat should be obtained for the water requirement and forest department before uprooting any trees in the lease area.
20. The leases which are falling <250 meters of the forest area and PP has obtained approval for the Divisional Level Commissioner committee, all the conditions stipulated by Divisional Level Commissioner committee shall be fulfilled by the PP.
21. The validity of the EC shall be as per the provisions of EIA Notification subject to the following: Expansion or modernization in the project, entailing capacity addition with change in process and or technology and any change in product - mix in proposed mining unit shall require a fresh Environment Clearance.
22. If it being a case of Temporary Permit (TP), the validity of EC should be only up to the validity of TP and PP has to ensure the execution of closure plan.
23. A separate budget in EMP & CER shall maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
24. The project proponent shall follow the mitigation measures provided in MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area".
25. Any change in the correspondence address shall be duly intimated to all the regulatory authority within 30 days of such change.
26. A display board with following details of the project is mandatory at the entry to the mine.
    m. Lease owner's Name, Contact details etc.
    n. Mining Lease area of the project (in ha.) with latitude and longitude.
    o. Length, breadth and sanctioned depth of mine.
    p. Minable Potential of sand mine.
    q. Sanctioned Production capacity of the project as per EC and Consent of MPPCB.
    r. Method of mining (Mannual/Semi Mechanised)

27. Species such as Khus Slips and Nagar Motha shall be planted on the nearby river banks for bank stabilization and to check soil erosion while dense plantation/ wood lot shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
28. Dense plantation shall be carryout in the 7.5 meters periphery/barrier zone of the lease through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency and on mineral evacuation road & common area in the village through any suitable Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
29. Entire plantation proposed in barrier zone of lease area shall be carried out in the first year itself as per submitted plantation scheme.

30. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
31. Top soil shall be simultaneously used for the plantation within the lease area and no OB/dump shall be stacked outside the lease area. PP should take-up entire plantation activity within initial three years of mining operations and shall maintain them for entire mine life including casualty replacement. PP should also maintain a log book containing annual details of tree plantation and causality replacement and to take adequate precautions so as not to cause any damage to the flora and fauna during mining operations. Plantation in adjoining forest land shall be carried out through concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
32. Local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land through forest department or on other community land available for grassland and fodder development through Gram Panchayat in concerned village and handed over to Gram Panchayat after lease period.
33. During initial three years before onset of monsoon season, minimum 100 saplings or maximum as per submitted plantation scheme and subsequently approved by the SEAC of fodder / native fruit bearing species shall be distributed in nearby villagers to promote plantation and shall be procured from social forestry nursery/ Government Horticulture nursery. This activity shall be carried out under Govt. of Madhya Pradesh "ANKUR YOJNA" by registering individual villagers on "Vayudoot app". Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, a minimum of 50 saplings be planted considering 80% survival with proper protection measures in School or Aganwadi premises.
34. Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.
35. Activities proposed under CER should be based upon outcome of public hearing in category for B-1 projects. However in case of B-2 projects, CER shall be proposed based upon local need assessment and Gram Panchayat Annual Action Plan.

Annexure- 'D'

General conditions applicable for the granting of TOR

1. The date and duration of carrying out the baseline data collection and monitoring shall be informed to the concerned Regional Officer of the M.P Pollution Control Board.
2. During monitoring, photographs shall be taken as a proof of the activity with latitude & longitude, date, time & place and same shall be attached with the EIA report. A drone video showing various sensitivities of the lease and nearby area shall also be shown during EIA presentation.
3. An inventory of various features such as sensitive area, fragile areas, mining / industrial areas, habitation, water-bodies, major roads, etc. shall be prepared and furnished with EIA.
4. An inventory of flora & fauna based on actual ground survey shall be presented.
5. Risk factors with their management plan should be discussed in the EIA report.
6. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
7. The EIA document shall be printed on both sides, as far as possible.
8. All documents should be properly indexed, page numbered.
9. Period/date of data collection should be clearly indicated.
10. The letter /application for EC should quote the SEIAA case No./year and also attach a copy of the letter prescribing the TOR.
11. The copy of the letter received from the SEAC prescribing TOR for the project should be attached as an annexure to the final EIA/EMP report.
12. The final EIA/EMP report submitted to the SEIAA must incorporate all issues mentioned in TOR and that raised in Public Hearing with the generic structure as detailed out in the EIA report.
13. Grant of TOR does not mean grant of EC.
14. The status of accreditation of the EIA consultant with NABET/QCI shall be specifically mentioned. The consultant shall certify that his accreditation is for the sector for which this EIA is prepared. If consultant has engaged other laboratory for carrying out the task of monitoring and analysis of pollutants, a representative from laboratory shall also be present to answer the site specific queries.
15. On the front page of EIA/EMP reports, the name of the consultant/consultancy firm along with their complete details including their accreditation, if any shall be indicated. The consultant while submitting the EIA/EMP report shall give

an undertaking to the effect that the prescribed TORs (TOR proposed by the project proponent and additional TOR given by the MOEF & CC) have been complied with and the data submitted is factually correct.

16. While submitting the EIA/EMP reports, the name of the experts associated with involved in the preparation of these reports and the laboratories through which the samples have been got analyzed should be stated in the report. It shall be indicated whether these laboratories are approved under the Environment (Protection) Act, 1986 and also have NABL accreditation.
17. All the necessary NOC's duly verified by the competent authority should be annexed.
18. PP has to submit the copy of earlier Consent condition /EC compliance report, whatever applicable along with EIA report.
19. The EIA report should clearly mention activity wise EMP and CER cost details and should depict clear breakup of the capital and recurring costs along with the timeline for incurring the capital cost. The basis of allocation of EMP and CER cost should be detailed in the EIA report to enable the comparison of compliance with the commitment by the monitoring agencies.
20. A time bound action plan should be provided in the EIA report for fulfillment of the EMP commitments mentioned in the EIA report.
21. The name and number of posts to be engaged by the PP for implementation and monitoring of environmental parameters should be specified in the EIA report.
22. EIA report should be strictly as per the TOR, comply with the generic structure as detailed out in the EIA notification, 2006, baseline data is accurate and concerns raised during the public hearing are adequately addressed.
23. The EIA report should be prepared by the accredited consultant having no conflict of interest with any committee processing the case.
24. Public Hearing has to be carried out as per the provisions of the EIA Notification, 2006. The issues raised in public hearing shall be properly addressed in the EMP and suitable budgetary allocations shall be made in the EMP and CER based on their nature.
25. Actual measurement of top soil shall be carried out in the lease area at minimum 05 locations and additionally N, P, K and Heavy Metals shall be analyzed in all soil samples. Additionally in one soil sample, pesticides shall also be analyzed.
26. A separate budget in EMP & CER shall be maintained for development and maintenance of grazing land as per the latest O.M, of MoEF&CC issued vide letter F.No. 22-34/2018-IA. III, dated 16/01/2020.
27. PP shall submit biological diversity report stating that there is no adverse impact in- situ and on surrounding area by this project on local flora and fauna's habitat, breeding ground, corridor/ route etc. This report shall be filed annually with six-monthly compliance report.
28. The project proponent shall provide the mitigation measures as per MoEFCCs Office Memorandum No. Z-11013/57/2014-IA. II (M) dated 29th October 2014, titled "Impact of mining activities on Habitations-issues related to the mining Projects wherein Habitations and villages are the part of mine lease areas or Habitations and villages are surrounded by the mine lease area" with EIA report.
29. LPG gas may be provided for camping labour under "Ujjwala Yojna .
30. In the project where ground water is proposed as water source, the project proponent shall apply to the competent authority such as Central Ground Water Authority (CGWA) as the case may be for obtaining, No Objection Certificate (NOC).
31. Consideration of mining proposals involving violation of the EIA Notification, 2006, the project proponent shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court of India dated 02/08/2017 in WP © No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause V/s Union of India & others before grant of TOR/EC. The under taking interalia includes commitment of the PP not to repeat any such violation in future as per MoEF&CC OM No. F.NO. 3-50/2017-IA.III (Pt.) dated 30/05/2018.
32. The mining project proponents involving violations of the EIA Notification, 2006 under the provisions of S.O. 804 (E) dated 14/03/2017 and subsequent amendments for TOR/EC shall give an undertaking by way of affidavit to comply with all the statutory requirements and judgment of Hon'ble Supreme Court dated the 2nd August 2017 in Writ Petition (Civil) No. 114 of 2014 in the matter of Common Cause versus Union of India and Ors. Before grant of TOR/EC the undertaking inter-alia include commitment of the PP not to repeat any such violation of future. In case of violation of above undertaking, the TOR/Environmental Clearance shall be liable to be terminated forthwith.
33. If the allotted land is private land and agricultural practices are being carriedout in the nearby area, the effect of mining on agricultural practices shall be studied and dicussed in the EIA report with the economic value of agricultural produce for last three yaears and details of total land holding of the PP in that district.

34. In case of mining on land where the land belongs to Charagah (Grazing) as per P-II form, proposal for development of equal area of land as grazing land shall be submitted with EIA report with its budgetary provisions. This Grazing land can be developed in consultation with DFO or Gram Panchayat of concerned area.
35. Under CER scheme commitments with physical targets shall be included in EIA report for:

- ✓ Proposal for CER activities based upon commitment made during public hearing and COVID-19 pandemic.
- ✓ Activities such as solar panels in school, awareness camps for Oral Hygiene, Diabetes and Blood Pressure, works related to plantation (distribution of fruit & fodder bearing trees) vaccination, cattle's health checkup etc. in concerned village shall be proposed.
- ✓ No fuel wood shall be used as a source of energy by mine workers. Thus proposal for providing solar cookers / LPG gas cylinders under "Ujjwala Yojna" to them who are residing in the nearby villages, shall be considered.
- ✓ PP's commitment that activities proposed in the CER scheme will be completed within initial 03 years of the project and in the remaining years shall be maintained shall be submitted with EIA report.

36. Under Plantation Scheme commitments with budgetary allocations shall be included in EIA report for :
- ✓ Comprehensive green belt plan with commitment that entire plantation shall be carried out in the initial three years and will be maintained thereafter with causality replacement. Proposal for distribution of fruit bearing species for nearby villagers shall also be incorporated in the plantation scheme and for which a primary survey for need assessment in concerned village shall be carried out.
- ✓ Commitment that plantation shall be carried out preferably through Govt. agency (such as Van Vikas Nigam / Van Samiti under monitoring and guidance of Forest Range officer with work permission from DFO concerned / Gram Panchayat / Agricultural department or any other suitable agency having adequate expertise as per the budgetary allocations made in the EMP.
- ✓ Commitment that high density plantation (preferably using "Miyawaki Technique or WALMI technique) shall be developed in 7.5m barrier zone left for plantation through concern CCF (social forestry) or concerned DFO or any other suitable agency.
- ✓ Commitment that local palatable mixture of annual and perennial grass and fodder tree species shall be planted for grassland/fodder development on degraded forest land suitable for the purpose through Forest Department/ through Gram Panchayat on suitable community land in the concerned village area.
- ✓ PP shall explore the possibility for plantation in adjoining forest land in consultation with concerned DFO and commensurate budget shall be transferred for plantation to DFO.
- ✓ Where ever Aushadhi Vatika (Medicinal Garden) is proposed by PP, minimum 50 saplings be planted considering 80% survival.
- ✓ Adequate provisions of water for irrigating plantation shall be made by PP.

FOR PROJECTS LOCATED IN SCHEDULED (V) TRIBAL AREA , following should be studied and discussed in EIA Report before Public Hearing as per the instruction of SEIAA vide letter No. 1241 dated 30/07/2018.

37. Detailed analysis by a National Institute of repute of all aspects of the health of the residents of the Schedule Tribal block.
38. Detailed analysis of availability and quality of the drinking water resources available in the block.
39. A study by CPCB of the methodology of disposal of industrial waste from the existing industries in the block, whether it is being done in a manner that mitigate all health and environmental risks.
40. The consent of Gram Sabah of the villages in the area where project is proposed shall be obtained.

खदान क्षेत्र मे किये जाने वाले वृक्षारोपण हेतु निर्देश :–

नोट 1 :– स्थल विशेष हेतु प्रजातियों के चयन में स्थानीय मृदा के प्रकार, संरचना, गहराई को ध्यान में रखकर रोपण किया जाना चाहिए ।
नोट 2 :– विषय विशेषज्ञ, उक्त विषय में रूचि रखने वाले स्थानीय जानकारो से राय ली जाने की सलाह है ।
नोट 3 :– पौधो की बढ़त हेतु सड़ी गोबर की खाद, केचुआ खाद, आवश्यक होने पर अच्छी मृदा का उपयोग, समय पर रोपण, पौधों की देख–रेख, मृदा नमीं को बनाये रखने हेतु मल्चिंग जल–संरचनाओं का निर्माण, निदाई–गुड़ाई, सिंचाई एवं सुरक्षा का पर्याप्त उपाय करना चाहिए ।

नोट 4 :– परिवहन मार्ग के किनारे लगाये जाने वाले पेड़ो के चारो ओर ट्री गार्ड होना आवश्यक है । इसी प्रकार स्कूल/ऑगनवाडी/पंचायत भवन इत्यादि में प्रस्तावित वृक्षारोपणो के चारो ओर सुरक्षा के इंतजाम जैसे फेंसिग/ट्री गार्ड आवश्यक रूप से प्रस्तावित किये जाये ।

नोट 5 :– भू–क्षरण स्थल पाये जाने पर भू–संरक्षण का कार्य (विशेष रूप से वाटर चेनल के किनारे तथा उत्पत्ति स्थान पर) किया जाना चाहिए।

नोट 6 :– रोपित पौधो का मापदंड एवं अन्य कार्य

क.	स्थल	ऊँचाई न्यूनतम्	गोलाई न्यूनतम्
1.	बैरियर जोन/नॉन माईनिंग क्षेत्र	02.5 – 03.0 फिट	03–05 से. मी.
2.	रोड़ साईड/स्कूल/ ऑगनवाडी	03.5 – 05.5 फिट	05–10 से.मी.
3.	पौधों के चारों ओर निदाई–गुड़ाई, थाला (1.5 मी.गोलाई में) तीन वर्षो तक ।		
4.	आवश्यक्तानुसार सिंचाई एवं प्राथमिकता पर जैविक खाद		

नोट 7 :– बीज बुआई एवं अंकुरण पश्चात् देख–रेख –

- स्थानीय स्तर पर बीज संग्रहण एवं गुड़ाई/जुताई उपचार, वर्षा पूर्व रोपण। जामुन, महुॅआ, नीम, साल बीज का रोपण बीज गिरने के तुरंत (07 दिवस के अंदर) पश्चात् रोपण ।
- अंकुरण पश्चात् 4 से 6 पत्तियॉ आने पर, पौधे के चारों तरफ निदाई–गुड़ाई एवं सड़ी गोबर की खाद डालना।
- बीज रोपण तीन वर्षो तक लगातार पौधों की जीवितता एवं सफलता के आधार पर करना ।
- सीड–बाल विधि से भी बीज रोपण किया जा सकता है।

नोट – 8 :– रेत के प्रकरणों में (पौधो की ऊँचाई न्यूनतम् 1.5 मीटर)

1	एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी एवं दूसरी से तीसरी पंक्ति शाकीय पौधे जैसे : खस, घास, अगेव स्थानीय घास प्रजातियॉ।	1.00 से 1.5 मीटर (पंक्ति में पौधो के बीच की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर)
2	4 पंक्ति से 5वीं पंक्ति (वृक्ष प्रजाति)	न्यूनतम् दूरी 3 मीटर (पौधों के बीच में दूरी 03 मीटर)
3	6वीं पंक्ति 3.0 से 5.0 मीटर (वृक्ष प्रजाति)	पौधों के बीच में 3 से 5 मीटर

- (चयनित प्रजातियों एवं नदी के किनारों पर भूमि की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आवंटित क्षेत्र से बाहरी दिशा में 10 से 15 मीटर की चौड़ाई में हरित पट्टी विकसित किया जाये)
- नोट – 9 :– छठी पंक्ति हेतु पौधों की सुरक्षा अवधि न्यूनतम् 3 वर्ष
- जामुन, कहवा, करंज, नीम, पौधों में पौधों की दूरी 2.5 मीटर से 5 मीटर लसोड़ा, करंज, आम, इत्यादि ।
- नोट – प्रथम तीन पंक्तियों के पौधों के मध्य में एक वर्षीय औषधि प्रजातियों का बीच छिड़काव ।

1	पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति हेतु (स्थानीय घांस प्रजातियॉ, खस घास अगेव आदि)	पंक्ति से पंक्ति की दूरी 01 से 10.5 फीट पंक्ति में पौधों से पौधों की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर ।
2	स्थाानीय झाड़ी प्रजाति के पौधे	01 11.6 फीटर
3	चौथी से पॉचवी, छठवीं पंक्ति हेतु बॉस एवं स्थानीय झाड़ी प्रजाति ।	पंक्ति की दूरी 2.5 मीटर से 3 मीटर पंक्ति में पौधों की दूरी 3 मीटर से 5 मीटर